रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14 नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 3, 1971/चैत्र 13, 1893
No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 3 1971/CHAITRA 13, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 22 फरवरी 1971 तक प्रकाशित किये गये।

The undermentioned Gazette of India Extraordinary were published up to the 22nd February 1971:—

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
6	G.S.R. 67, ~~dated~~ 11th January, 1971.	Ministry of Home Affairs.	Proclamation by the President of assuming all powers and functions of the State of Orissa.
	G.S.R. 68, dated 11th January 1971.	Ditto.	All powers and functions of the President will be exercised by the Governor of the State of Orissa.
7	G.S.R. 69. dated 12th January 1971.	Ministry of Finance	Further amendment in the Notification of the Govt. of India, in the Ministry of Finance (Deptt. of Rev.& Insurance) No. 104—Customs, dated the 6th June 1966.
	सा० का० नि० 69 दिनांक 12 जनवरी, 1971	वित्त मंत्रालय	भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 104, सीमाशुल्क, तारीख 6 जून 1966 में और आगे संशोधन।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
	G.S.R. 70, dated 12th January 1971.	Ministry of Finance	Exempting the goods so specified in the Table from the portion of the duty of customs which is in excess of the rate of duty leviable thereon.
	सा० का० नि० 70, दिनांक 12 जनवरी 1971	वित्त मंत्रालय	अनुसूची में विनिर्दिष्ट मालोंको उदग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट जितना की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर उदग्रहणीय शुल्क से आधिक्य में हैं ।
	G.S.R. 71, dated 12th January 1971.	Ditto.	Exempting the goods so specified in the Table from the portion of the duty of Customs which is in excess of the rate of duty leviable thereon.
	सा० का० नि० 71, दिनांक 12 जनवरी 1971	तदैव	अनुसूची में विनिर्दिष्ट मालों को उदग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट जितना कि तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर उदग्रहणीय शुल्क से आधिक्य में हैं ।
	G.S.R. 72, dated 12th January 1971.	Ditto.	Exempting iron or steel plates of thickness of 3.175 millimeters and above but less than 5 millimeters from that portion of the duty of customs as is in excess of 15 per cent. *ad valorem*.
	सा० का० नि० 72, दिनांक 12 जनवरी 1971	तदैव	3.175 ~~मिलीमीटर~~ और इससे अधिक किन्तु 5 मिलीमीटर से कम मोटी लौह या इस्पात की प्लेटस को विनिर्दिष्ट उदग्रहणीय सीमा शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना वह 15 प्रतिशत मूल्यानुसार से आधिक्य में हैं ।
8	G.S.R. 92, dated 12th January 1971.	Department of Company Affairs.	Rules to amend the Monopolies and Restrictive Trade Practices Rules, 1970.
	सा० का० नि० 92, दिनांक 12 जनवरी 1971	कम्पनी कार्य विभाग	एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी, व्यापार प्रथा नियम, 1970 में संशोधन करने के लिए नियम ।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
9	G.S.R. 93, dated 15th January 1971.	Ministry of Finance	Fixing the tariff valves of the go so specified in the Schedule.
	सा० का० नि० 93, दिनांक 15 जनवरी 1971	वित्त मंत्रालय	अनुसूची में विनिर्दिष्ट मालों के टैरिफ मूल्य का नियुक्तिकरण ।
10	G.S.R. 94, dated 15th January 1971.	Ditto.	Notifying the rate of interest per annum on the balance at credit of an account in Post Office.
	सा० का० नि० 94, दिनांक 15 जनवरी 1971	तदैव	डाकघर के खाता में जमा अतिशेष पर प्रतिवर्ष की ब्याज दर की अनुज्ञात ।
	G.S.R. 95-96, dated 15th January 1971.	Ditto.	Notifying the rates of interest on a blocked deposit, a single account, a joint account and a Provident Fund account , and also the maturity valve of a blocked deposit for a period of 2 years.
	सा० का० नं० 95–96 15 जनवरी 1971	तदैव	रुद्ध निक्षेप, एकल खाता, संयुक्त खाता और भविष्य निधि खाता पर ब्याज दर की अनुज्ञात तथा 2 वर्ष की कालावधि अवरुद्ध निक्षेप के लिए परिपक्वता मूल्य ।
	G.S.R. 97, dated 15th January 1971.	Ditto	Surrender values of 7-year National Savings Certificates (IV Issue). —Bank Series.
	सा० का० नि० 97, दिनांक 15 जनवरी 1971	तदैव	7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों (4 पुरोधरण) —बैंकआवलि का अभ्यर्पण मूल्य ।
	G.S.R. 98-99, dated 15th January 1971.	Ditto.	Rules to amend the National Saving Certificates (IV Issue) Ruls, 1970
	सा० का० नि० 98–99, दिनांक 15 जनवरी 1971	तदैव	राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (4 पुरोधरण) नियम 1970 में और आगे संशोधन करने के लिए नियम ।
11	G.S.R. 115, dated 13th January 1971.	Ministry of Home Affairs.	Extension of the Punjab Securit of the State Act, 1953, to the Union Territory of Manipur with modti cations.

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
12	G.S.R. 116, dated 20th January 1971.	Ministry of Home Affairs	The State of Himachal Pradesh (Removal of Difficulties) Order No. 1.
	सा० का० नि० 116, दिनांक 20 जनवरी, 1971	गृह मंत्रालय	हिमाचल प्रदेश राज्य (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश सं० 1 ।
13	G.S.R. 117, dated 20th January 1971.	Department of Company Affairs	Appointment of Shri C.C. Ganapathy as a member of the Company Law Board.
	सा० का० नि० 117, दिनांक 20 जनवरी, 1971	कम्पनी कार्य विभाग	श्री सी० सी० गणपति को कम्पनी विधि बोर्ड के सदस्य नियुक्त ।
14	G.S.R. 118, dated 21st January 1971.	Ministry of Finance	Exempting all articles imported for the personal use of a Ruler of an Indian State from the whole of the duty of Customs.
	जी एस० आर०, 118 दिनांक 21 जनवरी 1971	वित्त मंत्रालय	आयात की जाने वाली वस्तुओं, जो की भारतीय राज्य के शासक के व्यक्तिगत उपभोग के लिए हैं उन पर उदग्रहणीय सीमा-शुल्क से छूट ।
15	G.S.R. 119, dated 23rd January 1971.	Ministry of Home Affairs.	Revokation of the Proclamation made by the President on the 11th January 1971 in relation to the State of Orissa.
	सा० का० नि० 119, दिनांक 23 जनवरी 1971	गृह मंत्रालय	उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में 11 जनवरी 1971 को राष्ट्रपति द्वारा की गई उदघोषणा का प्रतिसंहृत ।
	G.S.R. 120, dated 23rd January 1971.	Ditto.	Proclamation by the President on the State of Orissa.
	सा० का० नि० 120, दिनांक 23 जनवरी 1971	तदैव	उड़ीसा राज्य के ऊपर राष्ट्रपति द्वारा प्रकाशित उद्घोषणा ।
	G.S.R. 121, dated 23rd January 1971.	Ditto	Order by the President on the State of Orissa.
	सा० का० नि० 121, दिनांक 23 जनवरी, 1971	तदैव	उड़ीसा राज्य के ऊपर राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी ।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
16	G.S.R. 122, dated 23rd January 1971.	Ministry of Home Affairs	The Delhi and Andamans and Nicobar Islands Civil Service Rules. 1971.
17	G.S.R. 123, dated 23rd January 1971.	Ditto	The Delhi and Andamans and Nicobar Islands Police Service Rules 1971.
18	G.S.R. 124, dated 23rd January 1971.	Ditto	The Governor of Himachal Pradesh (Allowances and Privileges) Order, 1971.
	सा० का० नि० 124, दिनांक 23 जनवरी, 1971	तदैव	हिमाचल प्रदेश राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) आदेश, 1971
19	G.S.R. 125, dated 23rd January 1971.	Ministry of External Affairs.	Corrigendum on the Ministry of External Affairs G.S. R. No. 867, dated the 24th May 1967.
	सा० का० नि० 125, दिनांक 23 जनवरी, 1971	विदेश मंत्रालय	विदेश मंत्रालय की अधिसूचना सं० जी० एस० आर० 867, दिनांक 24 मई, 1967 के ऊपर शुद्धि पत्र ।
20	G.S.R. 126, dated 24th January 1971.	Cabinet Secretariat	Constituting for the State of Himachal Pradesh a State Cadre of the Indian Administrative Service from the 25th January 1971.
	सा० का० नि० 126, दिनांक 24 जनवरी 1971	मंत्रिमंडल सचिवालय	25 जनवरी, 1971 से हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए भारतीय प्रशासन सेवा एक राज्य संवर्ग गठित करती है ।
	G.S.R. 127, dated 24th January 1971.	Ditto	Regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre strength) Regulations, 1955.
	सा० का० नि० 127, दिनांक 24 जनवरी 1971	तदैव	भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए विनियम ।
	G.S.R. 128, dated 24th January 1971.	Ditto	Regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre strength) Regulations, 1955.
	सा० का० नि० 128, दिनांक 24 जनवरी 1971	तदैव	भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए विनियम ।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
	G.S.R. 129, dated 24th January 1971.	Cabinet Secretariat	Allocating to the State Cadre of the Indian Administrative Service of Himachal Pradesh, members of the Indian Administrative Service borne on the joint cadre of that servic of all the Union territories. and N.E.F.A.
	सा० का० नि० 129, दिनांक 24 जनवरी, 1971	तदैव	संघ शासित क्षेत्रों और उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण की उस सेवा के भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश के भारतीय प्रशासन सेवा राज्य संवर्ग में आवंटन ।
	G.S.R. 130, dated 24th January 1971.	Ditto	Further amendment to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954.
	सा० का० नि० 130, दिनांक 24 जनवरी 1971	तदैव	भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और अधिक संशोधन ।
	G.S.R. 131, dated 24th January 1971.	Ditto	Constrituting for the State of Himachal Pradesh a State Cadre of the Indian Police Service from 25th January 1971.
	सा० का० नि० 131, दिनांक 24 जनवरी 1971	तदैव	25 जनवरी 1971 से हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए भारतीय पुलिस सेवा का एक राज्य संवर्गठित ।
	G.S.R. 132, dated 24th January 1971.	Ditto	Regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955.
	सा० का० नि० 132, दिनांक 24 जनवरी 1971	तदैव	भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए विनियम ।
	G.S.R. 133, dated 24th January 1971.	Ditto	Regulations further to amend the Indian Police Servce (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955.
	सा० का० नि० 133, दिनांक 24 जनवरी, 1971	तदैव	भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए विनियम ।

Issued No.	No. and Date	Issued by	Subject
	G.S.R. 134, dated 24th January 1971.	Cabinet Secretariat	Amendments to the Indian Police Service (Pay), Rules, 1954.
	सा० का० नि० 134, दिनांक 24 जनवरी, 1971	तदैव	भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और संशोधन ।
	G.S.R. 135, dated 24th January 1971.	Ditto	Regulations further to amend the Indian Forest Service (Fixation of Cadre strength) Regulations, 1966.
	सा० का० नि० 135, दिनांक 24 जनवरी 1971	तदैव	भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए विनियम ।
	G.S.R. 136, dated 24th January 1971.	Ditto	Regulations further to amend the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966.
	सा० का० नि० 136, दिनांक 24 जनवरी 1971	तदैव	भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए विनियम ।
	G.S.R. 137, dated 24th January 1971.	Ditto	Constituting for th eState of Himachal Pradesh a State Cadre of the Indian Forest Service from the 25th January 1971
	सा० का० नि० 137, दिनांक 24 जनवरी 1971	तदैव	25 जनवरी, 1971 से हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए भारतीय वन सेवा का एक राज्य संवर्ग गठन ।
	G.S.R. 138, dated 24th January 1971.	Ditto	Amendments further to amend the Indian Forest Service Pay) Rules, 1968.
	सा० का० नि० 138, दिनांक 24 जनवरी 1971	तदैव	राज्य वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए संशोधन ।
21	G.S.R. 152, dated 29th January 1971.	Ministry of Food, Agri., Com. Dev. & Co-operation.	Service in the Food Corporation of India declared as essential service.
	सा० का० नि० 152, दिनांक 29 जनवरी 1971	खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय ।	भारतीय खाद्य निगम की सेवा को आवश्यक सेवा घोषित ।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
22	G.S.R. 153, dated 29th January 1971.	Ministy of Food, Agri., Com. Dev. & Co-operation.	Prohibition of Strike in any service in the Food Corporation of India.
	सा० का० नि० 153, दिनांक 29 जनवरी 1971	तदैव	भारतीय खाद्य निगम की किसी भी सेवा में हड़ताल का प्रतिषेध ।
23	G.S.R. 185, dated 3rd February 1971.	Department of Company Affairs.	Appointment of Shri C. C. Ganapathy, Jt. Secy. in the Deptt. of Company Affairs as the Public Trustee in addition to his duties.
	सा० का० नि० 185, दिनांक 3 फरवरी 1971	कम्पनी कार्य विभाग	श्री सी० सी० गणपति, संयुक्त सचिव, कम्पनी कार्य विभाग के कार्य-भार के अतिरिक्त सरकारी न्यासी के पद पर नियुक्त ।
24	G.S.R. 186, dated 5th February 1971.	Ministry of Finance	Exempting C.B.F. (Phenol Extrats '500' from so much of the due of excise.
	सा० का० नि० 186, दिनांक 5 फरवरी 1971	वित्त मंत्रालय	सी० बी० एफ० (फिनाल निष्कर्ष), '500' को उदग्रहणीय उत्पाद-शुल्क से छूट ।
25	G.S.R. 187, dated 6th February 1971.	Ministry of Irrigation & Power.	Further amendment in the Central Water Engineering (Class I) Service Rules, 1965.
	जी एस० आर० 187, दिनांक 6 फरवरी 1971	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ।	केन्द्रीय जल इन्जीनियरी (श्रेणी–I) सेवा नियमावली, 1965 में और आगे संशोधन ।
	G.S.R. 188, dated 6th February 1971.	Ditto	Further amendment in the Central Power Engineering (Class I) Service Rules, 1965.
	जी एस० आर० 188, दिनांक 6 फरवरी 1971	तदैव	केन्द्रीय विद्युत इन्जीनियरी (श्रेणी I) सेवा नियमावली, 1965 में और आगे संशोधन ।
26	G.S.R. 189, dated 8th February, 1971.	Ministry of Finance	Further amendment in the Post Office Savings Certificates Rules, 1960.
	सा० का० नि० 189, दिनांक 8 फरवरी 1971	वित्त मंत्रालय	डाकघर बचत प्रमाण पत्र नियम, 1960 में और आगे संशोधन ।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
27	G.S.R. 190, dated 10th February 1971.	Ministry of Labour, Emp. & Rehabilitation.	The 10th February 1971 as the date from which all the provisions of the contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (Act 37 of 1970) shall come into force.
	G.S.R. 191, dated 10th February 1971.	Ditto.	The Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971.
28	G.S.R. 223, dated 11th Fcbruary 1971.	Ministry of Law	The Delimitation of Council Constituencies (Mysore) Amendment Order, 1971.
	सा० का० नि० 223, दिनांक 11 फरवरी 1971 ।	विधि मंत्रालय	परिषद् निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन (मैसूर) संशोधन आदेश, 1971 ।
29	G.S.R. 224, dated 12th February 1971.	Ministry of Food, Agriculture, Com. Dev. & Cooperation.	Entrusting to the Government of Meghalaya the functions of the Central Government.
	सा० का० नि० 224, दिनांक 12 फरवरी 1971 ।	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय	मेघालय सरकार को केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग सौंपना ।
30	G.S.R. 225 dated 12th February 1971.	Ditto.	Entrusting the Government of Meghalaya the function of the Central Government.
	सा० का० नि० 225, दिनांक 12 फरवरी 1971 ।	तथैव	मेघालय सरकार को केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग सौंपना ।
31	G.S.R. 253, dated 22nd February 1971.	Ministry of External Affairs.	Exempting persons of Indian origin from the operation of Cl. (*a*) of sub-sec. (2) of Section 6 of the said Act.
	जी० एस० आर० 253, दिनांक 22 फरवरी 1971 ।	विदेश मंत्रालय	भारतीय मूल के उपर्युक्त व्यक्तियों को अधिनियम के खंड 6 के उपखंड (2) की धारा (क) के प्रावधान से छूट।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
32.	G.S.R. 254, dated 22nd February 1971.	Ministry of External Affairs.	Power to issue passports and travel documents to persons who are not citizen of India under Section 20 of the said Act.
	सा० का० नि० 254, दिनांक 22 फरवरी 1971।	विदेश मंत्रालय	अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को जो भारत के नहीं हैं पासपोर्ट और यात्रा प्रलेख करने के अधिकार का प्रयोग ।

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से 10 दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

New Delhi, the 19th March 1971

G.S.R. 464.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 12A of, and sub-paragraph (2) of paragraph 2 of the Fifth Schedule to, the Central Secretariat Stenographers' Service Rules, 1969, the Central Government in the Department of Personnel in the Cabinet Secretariat hereby makes the following regulations, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Central Secretariat Stenographers Service (Qualifying Examination for Hindi Stenographers) Regulations, 1971.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Examination" means a qualifying examination held by the Commission for inclusion of Hindi Stenographers in the Select List of Grade II of the Service;

(b) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meanings as are assigned to them by clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the Constitution;

(c) "Hindi Stenographer" means a person holding the post of Hindi Stenographer in any Ministry or Office specified in columns 2 and 3 of the First Schedule to the Central Secretariat Stenographers Services Rules, 1969;

(d) All other words and expressions used in these regulations and not defined but defined in the Central Secretariat Stenographers Service Rules, 1969, shall have the meanings respectively assigned to them in the said rules.

3. **Holding of the examination.**—(1) The examination shall be conducted by the Commission in the manner notified by the Central Government.

(2) The dates on which and the places at which the examination shall be held shall be fixed by that Commission.

4. **Conditions of eligibility.**—(1) *Eligibility*—Any permanent or temporary Hindi Stenographer who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination:—

(a) he should be holding a post of Hindi Stenographer in a scale of pay the minimum and maximum of which are not less than Rs. 210 and Rs. 530 respectively;

(b) he should have been appointed as Hindi Stenographer before the 23rd March, 1968.

NOTE.—Hindi stenographers who are on deputation to other ex-cadre posts with the approval of the competent authority shall be eligible to be admitted to the examination if otherwise eligible. This also applies to an officer who has been appointed to another ex-cadre post or to another service on transfer if he continues to have a lien in the post of Hindi Stenographer for the time being.

(2) *Attempts at the examination.*—A candidate should not have already completed more than once at the examination held after the 1st January, 1971.

(3) *Fee.*—Subject to such exemptions or concession as may be notified from time to time, a candidate shall pay the fee specified by the Commission in this behalf.

5. **Canvassing of candidature.**—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disquality him for admission to the Examination.

6. **Decision as to eligibility.**—The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final, and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be admitted to the examination.

7. **Results.**—(1) The names of the candidates who are considered by the Commission to be suitable for inclusion in the Select List for Grade II of the Service on the results of the examination shall be recommended for such inclusion:

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, who though not qualified by the standard prescribed by the Commission, may also be recommended by them with due regard to the maintenance of efficiency of administration for inclusion in the Select List for Grade II of the Service on the results of the examination.

(2) The form and manner of communication of the results of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion; and the Commission shall not enter into any correspondence with the individual candidates regarding the results.

8. **Penalty for impersonation or other misconduct.**—A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated document or documents which has or have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,—

(a) be debarred permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from admission to any examination or from appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under them.

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules.

[No. 16/7/70-CS.II.]

M. K. VASUDEVAN, Under Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली 19 मार्च, 1971

सा० का० नि० 464—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 के नियम 12 क के उप-नियम (2) तथा उक्त नियमों की पांचवीं अनसूची के पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (2) के अनुसरण में, भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्मिक विभाग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) ये विनियम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (हिन्दी आशुलिपिकों के लिए अर्हक परीक्षा) विनियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "परीक्षा" का अभिप्राय सेवा के ग्रेड 2 की चयन सूची में हिन्दी आशुलिपिकों को सम्मिलित करने के लिए, आयोग द्वारा आयोजित अर्हक परीक्षा है,

(ख) "अनुसूचित जातियां" और "अनुसूचित जन जातियां" के वही अर्थ होंगे जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) और (25) में क्रमशः उन्हें दिए गए हैं;

(ग) "हिन्दी आशुलिपिक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 की प्रथम अनुसूची के कालम 2 और में विहित किसी मंत्रालय या कार्यालय में हिन्दी आशुलिपिक के पद पर काम कर रहा है ।

(घ) ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों के जो इन विनियमों में प्रयुक्त हुए हैं और परिभाषित नहीं है, किन्तु केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उक्त नियमों में क्रमशः उन्हें दिए गए हैं ।

3. **परीक्षा का आयोजन** (1) परीक्षा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित रीति से ली जायगी ।

(2) परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा नियत किए जाएंगे ।

4. **पात्रता की शर्तें** (1) पात्रता ऐसा कोई भी स्थायी या अस्थायी हिन्दी आशुलिपिक, जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, परीक्षा में बैठने का पात्र होगा :—

(क) उसे हिन्दी आशलिपिक के पद पर काम करते होना चाहिए जिसका न्युनतम और अधिकतम वतन मान क्रमशः 210 रु० से कम और 530 रु० से अधिक न हो ;

(ख) वह हिन्दी आशुलिपिक के रूप में 23 मार्च, 1968 से पूर्व नियुक्त होना चाहिए ।

टिप्पणी— वे हिन्दी आशुलिपिक, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अन्य काडर-बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्त ह, यदि वे अन्यथा पात्र हों, तो परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्र होंग । यह बात उस अधिकारी को भी लागू होगी, जो किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर या किसी अन्य सेवा में अन्तरण के आधार पर नियुक्त किया गया है, यदि हिन्दी आशुलिपिक के पद पर उसका तत्समय धारणाधिकार बना हो ।

(2) **परीक्षा में बैठना**—उम्मीदवार को, 1 जनवरी, 1971 के पश्चात हुई परीक्षा में एक से अधिक बार बैठा हुआ नहीं होना चाहिए ।

(3) **फीस**—समय समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित छूटों या रियायतों के अनुसार उम्मीदवारों को विहित फीस देनी पड़गी ।

5. **उम्मीदवार के लिए संगणना**—उम्मीदवार की ओर से किसी भी ढंग से अपने लिए समर्थन प्राप्त करनें का कोई भी प्रयत्न आयोग द्वारा ऐसा आचरण माना जा सकता है जिससे उम्मीदवार को परीक्षा के लिए अपात्र घोषित किया जा सकता है ।

6. **पात्रता के बारे में निर्णय**—परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा और किसी भी उम्मीदवार को जिसे आयोग द्वारा प्रवश का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायगा ।

7. **परिणाम**—(1) उन उम्मीदवारों के नामों की, जो परीक्षा के परिणामों के आधार पर सेवा ग्रेड 2 के लिए चयन सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए आयोग द्वारा उपर्युक्त समझें जाएं, इस रूप में सम्मिलित किए जाने की सिफारिश की जाएगी :

परन्तु उसके द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों को भी, जो यद्यपि आयोग द्वारा विहित स्तर तक के न हों, प्रशासनिक दक्षता का सम्यक ध्यान रखते हुए, परीक्षा के परिणामों पर सेवा के ग्रेड 2 के लिए चयन सूची में सम्मिलित किए जाने की सिफारिश की जायगी ।

(2) प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा के परिणाम की सूचना किस प्रकार भेजी जाय, इसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायगा, और परिणामों के सम्बन्ध में आयोग अलग-अलग उम्मीदवारों से कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा ।

8. **प्रतिरूपण या अन्य गलत प्रयतनों के लिए दण्ड**—जो उम्मीदवार प्रतिरूपण या जाली दस्तावेज जिसे या ऐसे दस्तावेज जिन्हें बिगाड़ा गया है प्रस्तुत करने, या ऐसे कथन जो गलत या झूठ हों, करने, या तथ्यों को छिपाने या अन्यथा परीक्षा में, प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधान काम में लेने, या परीक्षा भवन में अनुचित साधन प्रयुक्त करने या प्रयुक्त करने का प्रयत्न करने या परीक्षा भवन में कदाचार करने को दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित कर दिया गया है, उस पर आपराधिक अभियोजन के अतिरिक्त —

(क) उसे स्थायी रूप से या विहित अवधि के लिए—

(i) उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने से या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से, वंचित कर दिया जायगा, और

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा, अपने अधीन नौकरी से वंचित कर दिया जायगा ,

(ख) समुचित नियमों के अधीन उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायगी ।

[सं० 16-7/70—के० से० (2)]

एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 22nd March 1971

G.S.R. 465.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Caretaker in the Civil Aviation Department, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These Rules may be called the Civil Aviation Department Caretaker Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post of Caretaker as specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

Provided that the upper age limit specified in column 6 of the said Schedule may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualifications.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

SCHE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post.	Age for direct recruits	Education and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Caretaker .	1	G.C.S. Class III Non-Gazetted, Non-ministerial	Rs. 150—10 250—EB— 290—15— 335—15— 380.	Not applicable	19—23 years	*Essential* : (*i*) Matriculation or equivalent qualification. (*ii*) Diploma in sanitation. *Desirable* : Training in Fire Fighting.

DULE

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/deputation/ transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	100% by direct recruitment.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

[No. 3-VE(20)/67.]

A. R. GOEL, Under Secy.

पर्यटन तथा सिविल विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1971

सा०का०नि० 465.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा सिविल विमानन विभाग में रखवाल पद की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(i) ये नियम सिविल विमानन विभाग रखवाल भर्ती नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रखवाल पद को लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

परन्तु उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार किसी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य विशेष प्रवर्ग के संबंध में शिथिल की जा सकेंगी ।

5. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

अनु-

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु
1	2	3	4	5	6
रखवाल	1	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग III, अराजपत्रित अननसचिवीय	रु० 150–10–250–द० रो०–290–15–335–15–380	लागू नहीं होता	19 से 23 वर्ष

सूची

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जायगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा
7	8	9	10	11	12
आवश्यक : (1) मैट्रीकुलेशन या समतुल्य अर्हता । (2) स्वास्थ्य रक्षा में डिप्लोमा । वांछनीय : अग्नि शमन में प्रशिक्षण ।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[सं० 2—बी०, ई० (20)/67]

आत्मा राम गोयल, अवर सचिव ।

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS AND MINES & METALS

(Department of Mines and Metals)

New Delhi, the 20th March 1971

G.S.R. 466.—In pursuance of the powers conferred by section 22 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Department of Mines and Metals) No. 10(3)/69-MII, dated the 15th May, 1969, the Central Government hereby authorises—

(a) the Controller, Indian Bureau of Mines;

(b) the Controller of Mines, Indian Bureau of Mines;

(c) the Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines;

(d) the Mineral Economist, Indian Bureau of Mines;

(e) the Deputy Controller of Mines, Indian Bureau of Mines; and

(f) the Assistant Controller of Mines, Indian Bureau of Mines;

to prefer complaints in writing in respect of any offence punishable under the said Act or any rules made thereunder.

[No. 10(3)/69-MII(MVI).]

A. SETHUMADHAVAN, Under Secy.

पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय

(खान और धातु विभाग)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1971

सा० का० नि० 466.—खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में और भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय (खान और धातु विभाग) की अधिसूचना सं० 10(3)/69-एम-II तारीख 15 मई, 1969 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार :—

(क) नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो;

(ख) खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो ;

(ग) क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो;

(घ) खनिज अर्थशास्त्री, भारतीय खान ब्यूरो;

(ङ) उप खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो;

(च) सहायक खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो;

को उक्त अधिनियम अथवा तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के विषय में लिखित रूप से शिकायत करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है ।

[सं० 10(3)/69-एम II (एम VI)]

ऐ० सेतुमाधवन,
अवर सचिव, भारत सरकार ।

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 23rd March 1971

G.S.R. 467—In exercise of the powers conferred by section 5, read with section 7, of the Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Coal Mines Bonus Scheme, published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour No. PF.16(1)/48, dated the 3rd July, 1948, namely:—

1. This Scheme may be called the Coal Mines Bonus (Amendment) Scheme, 1971.

2. In paragraph 3 of the Coal Mines Bonus Scheme (hereinafter referred to as the said Scheme), after Exception (a), the following Exception shall be inserted, namely:—

"(b) (1) he is employed mainly in a managerial or administrative capacity; or

(2) he, being employed in a supervisory capacity, draws wages exceeding five hundred rupees per month or exercises either by the nature of the duties attached to his office or by reason of powers vested in him, functions mainly of a managerial nature:

Provided that nothing in this Exception shall disentitle any employee who was eligible to receive bonus under the Schemes before the implementation of the recommendation of the Central Wage Board for coal mining industry from receiving such bonus; or"

3. In sub-paragraph (2) of paragraph 11 of the said Scheme, after the first proviso, the following proviso shall be inserted namely:—

"Provided further that where mechanised accounting system has been introduced for better administration, to ensure correct and prompt payment the bonus register may be maintained in a suitable alternative form with the previous approval of the Chief Labour Commissioner (Central) and entries in such alternative form may be made within 21 days of payment of wages to which they relate."

[No. 3(65)69-PF.I/I.]

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1971

सा० का० नि० 467.—कोयला खान भविष्य निधि और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या पी० एफ० 16(1)/48 तारीख 3 जलाई, 1948 के साथ प्रकाशित कोयला खान बोनस स्कीम में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

1. यह स्कीम कोयला खान बोनस (संशोधन) स्कीम, 1971 कही जा सकेगी ।

2. कोयला खान बोनस स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 3 में अपवाद (क) के पश्चात् निम्नलिखित अपवाद अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) (1) वह मुख्य रूप से प्रबन्धकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित है;

या

(2) वह पर्यवेक्षीय हैसियत में नियोजित होते हुए पांच सौ रुपये प्रतिमास से अधिक मजदूरी लेता है या अपने पद से संलग्न कर्त्तव्यों की प्रकृति के अनुसार या अपने में निहित शक्तियों के कारण मुख्य रूप से प्रबन्धकीय प्रकृति के कृत्यों का पालन करता है :

परन्तु इस अपवाद में की कोई बात किसी ऐसे कर्मचारी को जो केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की कोयला खनन उद्योग के लिए की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन से पूर्व स्कीम के अधीन बोनस प्राप्त करने का पात्र था ऐसे बोनस की प्राप्ति के हक से वंचित नहीं करेगी; या

3. उक्त स्कीम के पैरा 11 के उप-पैरा (2) में प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि जहां सही और शीघ्र अदाएगी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बेहतर प्रशासन के लिए यांत्रिक लेखा पद्धति प्रारम्भ कर दी गई है वहां मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के पूर्व अनुमोदन से बोनस रजिस्टर उपयुक्त आनुकल्पिक प्ररूप में रखा जा सकेगा और ऐसे आनुकल्पिक प्ररूप में प्रविष्टियां उस मजदूरी के संदाय से, जिससे इनका सम्बन्ध हो, 21 दिन के भीतर की जा सकेंगी।"

[संख्या 3 (65)/69-पी० एफ० I/I]

G.S.R. 468.—In exercise of the powers conferred by section 5, read with section 7, of the Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Andhra Pradesh Coal Mines Bonus Scheme, published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour No. S.R.O. 1705, dated the 4th October, 1952, namely:—

1. This scheme may be called the Andhra Pradesh Coal Mines Bonus (Amendment) Scheme, 1971.

2. In paragraph 3 of the Andhra Pradesh Coal Mines, Bonus Scheme (hereinafter referred to as the said Scheme), after Exception (a), the following Exception shall be inserted, namely:—

"(b) (1) he is employed mainly in a managerial or administrative capacity; or

(2) he, being employed in a supervisory capacity, draws wages exceeding five hundred rupees per month or exercises either by the nature of the duties attached to his office or by reason of powers vested in him, functions mainly of a managerial nature:

Provided that nothing in this Exception shall disentitle any employee who was eligible to receive bonus under the Schemes before the implementation of the recommendation of the Central Wage Board for coal mining industry from receiving such bonus; or"

3. In sub-paragraph (2) of paragraph I, of the said Scheme, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that where mechanised accounting system has been introduced for better administration, to ensure correct and prompt payment the bonus register may be maintained in a suitable alternative form with the previous approval of the Chief Labour Commissioner (Central) and entries in such alternative form may be made within 21 days of payment of wages to which they relate."

[No. 3(65)69-PF.I/II.]

सा० का० नि० 469.—कोयला खान भविष्य निधि और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 1705 तारीख 4 अक्टूबर, 1952 के साथ प्रकाशित आन्ध्र प्रदेश कोयला खान बोनस स्कीम में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

1. यह स्कीम आंध्र प्रदेश कोयला खान बोनस (संशोधन) स्कीम, 1971 कही जा सकेगी ।

2. आन्ध्र प्रदेश कोयला खान बोनस (स्कीम जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 3 में अपवाद (क) के निम्नलिखित अपवाद अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(ख) (1) वह मुख्य रूप से प्रबन्धकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित है; या

(2) वह पर्यवेक्षीय हैसियत में नियोजित होते हुए पांच सौ रुपये प्रति मास से अधिक मजदूरी लेता है या अपने पद से संलग्न कर्त्तव्यों की प्रकृति के कृत्यों का पालन करता है :

परन्तु इस अपवाद में की कोई बात किसी ऐसे कर्मचारी को जो केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की कोयला खनन उद्योग के लिए की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन से पूर्व स्कीम के अधीन बोनस प्राप्त करने का पात्र था ऐसे बोनस की प्राप्ति के हक से वंचित नहीं करेगी; या"

3. उक्त स्कीम के पैरा 10 के उप-पैरा (2) में प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि जहां सही और शीघ्र अदायगी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बेहतर प्रशासन के लिए यांत्रिक लेखा पद्धति प्रारंभ कर दी गई है वहां मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के पूर्व अनुमोदन से बोनस रजिस्टर उपयुक्त आनुकल्पिक प्ररूप में रखा जा सकेगा और ऐसे आनुकल्पिक प्ररूप में प्रविष्टियां उस मजदूरी के संदाय से, जिससे इनका सम्बन्ध हो, 21 दिन के भीतर की जा सकेंगी ।"

[संख्या 3(65)/69-पी० एफ० I/III.]

G.S.R. 469.—In exercise of the powers conferred by section 5, read with section 7, of the Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Rajasthan Coal Mines Bonus Scheme, published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour No. S.R.O. 3643 dated the 17th December, 1954, namely:—

1. This Scheme may be called the Rajasthan Coal Mines Bonus (Amendment Scheme, 1971.

2. In paragraph 3 of the Rajasthan Coal Mines Bonus Scheme (hereinafter referred to as the said Scheme), after Exception (a) the following Exception shall be inserted, namely:—

"(b) (1) he is employed mainly in a managerial or administrative capacity; or city; or

(2) he, being employed in a supervisory capacity, draws wages exceeding five hundred rupees per month or exercises either by the nature of the duties attached to his office or by reason of powers vested in him, functions mainly of a managerial nature:

Provided that nothing in this Exception shall disentitle any employee who was eligible to receive bonus under the Schemes before the implementation of the recommendation of the Central Wage Board for coal mining industry from receiving such bonus; or"

3. In sub-paragraph (2) of paragraph 11 of the said Scheme, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that where mechanised accounting system has been introduced for better administration to ensure correct and prompt payment the bonus register may be maintained in a suitable alternative form with the previous approval of the Chief Labour Commissioner (Central) and entries in such alternative form may be made within 21 days of payment of wages to which they relate."

[No. 3(65)69-PF.I/III.]

सा० का० नि० 469.—कोयला खान भविष्य निधि और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 3643 तारीख 17 दिसम्बर, 1954 के साथ प्रकाशित राजस्थान कोयला खान बोनस स्कीम में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. यह स्कीम राजस्थान कोयला खान बोनस (संशोधन) स्कीम, 1971 कही जा सकेगी ।

2. राजस्थान कोयला खान बोनस स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 3 में अपवाद (क) के पश्चात् निम्नलिखित अपवाद अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(ख) (1) वह मुख्य रूप से प्रबन्धकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित है; या

(2) वह पर्यवेक्षीय हैसियत में नियोजित होते हुए पांच सौ रुपये प्रतिमास से अधिक मजदूरी लेता है या अपने पद से संलग्न कर्त्तव्यों की प्रकृति के अनुसार या अपने में निहित शक्तियों के कारण मुख्य रूप से, प्रबन्धकीय प्रकृति के कृत्यों का पालन करता है :

परन्तु इस अपवाद में की कोई बात किसी ऐसे कर्मचारी को जो केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की कोयला खनन उद्योग के लिए की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन से पूर्व स्कीम के अधीन बोनस प्राप्त करने का पात्र था ऐसे बोनस की प्राप्ति के हक से वंचित नहीं करेगी; या"

3. उक्त स्कीम के पैरा 10 के उपपैरा (2) में प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि जहां सही और शीघ्र अदाएगी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बेहतर प्रशासन के लिए यांत्रिक लेखा पद्धति प्रारम्भ कर दी गई है वहां मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के पूर्व अनुमोदन से बोनस रजिस्टर उपयुक्त आनुकल्पिक प्ररूप में रखा जा सकेगा और ऐसे आनुकल्पिक प्ररूप में प्रविष्टियां उस मजदूरों के संदाय से, जिससे इनका सम्बंध हो, 21 दिन के भीतर की जा सकेंगी ।"

[सं० 3(65)/69—पी० एफ० I/III.]

G.S.R. 470.—In exercise of the powers conferred by section 5, read with section 7, of the Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Assam Coal Mines Bonus Scheme, published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour No. S.R.O. 2042, dated the 8th September, 1955, namely:—

1. This Scheme may be called the Assam Coal Mines Bonus (Amendment) Scheme, 1971.

2. In paragraph 3 of the Assam Coal Mines Bonus Scheme (hereinafter referred to as the said Scheme), after Exception (a) the following Exception shall be inserted namely:—

"(b) (1) he is employed mainly in a managerial or administrative capacity; or

(2) he, being employed in a supervisory capacity, draws wages exceeding five hundred rupees per month or exercises either by the nature of the duties attached to his office or by reason of powers vested in him, functions mainly of a managerial nature:

Provided that nothing in this Exception shall disentitle any employee who was eligible to receive bonus under the Scheme before the implementation of the recommendation of the Central Wage Board for coal mining industry from receiving such bonus; or"

3. In sub-paragraph (2) of paragraph 10 of the said Scheme, after the first proviso, the following proviso shall be inserted namely:—

"Provided further that where mechanised accounting system has been introduced for better administration, to ensure correct and prompt payment the bonus register may be maintained in a suitable alternative form with the previous approval of the Chief Labour Commissioner (Central) and entries in such alternative form may be made within 21 days of payment of wages to which they relate."

[No. 3(65)69-PF I/IV.]

DALJIT SINGH, Under Secy

सा० का० नि० 470.—कोयला खान भविष्य निधि और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 2042 तारीख 8 सितम्बर 1955 के साथ प्रकाशित असम कोयला खान बोनस स्कीम में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. यह स्कीम असम कोयला खान बोनस (संशोधन) स्कीम, 1971 कही जा सकेगी ।

2. असम कोयला खान बोनस स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 3 में अपवाद (क) के पश्चात् निम्नलिखित अपवाद अन्तः स्थापित किया जायगा, अर्थात:—

"(ख) (1) वह मुख्य रूप स प्रबन्धकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित है;

या

(2) वह पर्यवेक्षीय हैसियत में नियोजित होते हुए पांच सौ रुपये प्रतिमास से अधिक मजदूरी लेता है या अपने पद से संलग्न कर्तव्यों की प्रकृति के अनुसार या अपने में निहीत शक्तियों के कारण मुख्य रूप से प्रबन्धकीय प्रकृति के कृत्यों का पालन करता है ।

परन्तु इस अपवाद में की कोई बात किसी ऐसे कर्मचारी को जो केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की कोयला खनन उद्योग के लिए की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन से पूर्व स्कीम के अधीन बोनस प्राप्त करने का पात्र था ऐसे बोनस की प्राप्ति के हक से वंचित नहीं करेगी ; या"

3. उक्त स्कीम के पैरा 10 के उपपैरा (2) में प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि जहां सही और शीघ्र अदायगी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बेहतर प्रशासन के लिए यांत्रिक लेखा पद्धति प्रारंभ कर दी गई है वहां मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के पूर्व अनुमोदन से बोनस रजिस्टर उपयुक्त आनुकल्पिक प्ररूप में रखा जा सकेगा और ऐसे आनुकल्पिक प्ररूप में प्रविष्टियां उस मजदूरी के संदाय से, जिससे इनका सम्बन्ध हो, 21 दिन के भीतर की जा सकेंगी।"

[संख्या 3(65)/69—पी० एफ० I/IV]

दलजीत सिंह,
अवर सचिव ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 23rd March 1971

G.S.R. 471.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Deputy Superintendent of Police (Laccadive, Minicoy and Amindivi Administration) Recruitment Rules, 1963, namely:

1. (1) These rules may be called the Deputy Superintendent of Police (Laccadive, Minicoy and Amindivi Administration) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Deputy Superintendent of Police (Laccadive, Minicoy and Amindivi Administration) Recruitment Rules, 1963, after rule (4), the following rule shall be inserted, namely:—

"Power to Relax.—(5) Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons."

[No. 52/1/71-ANL.]

H. S. DUBEY, Dy. Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 मार्च 1971

सा० का० नि० 471.—राष्ट्रपति, संविधान के अनच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस उपअधीक्षक (लक्कादीव, मिनिक्वाय और अमिनदीवि प्रशासन) भरती नियम, 1963 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) ये नियम पुलिस उप-अधीक्षक, (लक्कादीव, मिनिक्वाय और अमिनदीवी प्रशासन) भरती (संशोधन) नियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होन की तारीख से लागू होंगे ।

2. पुलिस उप-अधीक्षक (लक्कादीव, मिनिक्वाय और अमिनदीवि प्रशसान) भरती नियम, 1963 में नियम (4) के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जायेगा, अर्थात :—

"**छूट देने की शक्ति**—(5) जहां केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या अभीष्ट हो, वह आदेश द्वारा, लिखित कारणों सहित और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, व्यक्तियों कि किसी भी श्रेणी और वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में छूट दे सकती है ।"

(सं० 52/1/71—ए० एन० एल०)

एच० एस० दुबे,
उप सचिव ।

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 11th February, 1971

G.S.R. 472.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Controller-General of Patents, Designs and Trade Marks [Class I and II (Gazetted) Posts] Recruitment Rules, 1968 namely:—

1. (1) These rules may be called the Office of the Controller-General of Patents, Designs and Trade Marks [Class I and II (Gazetted) Posts] Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Office of the Controller-General of Patents, Designs and Trade Marks [Class I and II (Gazetted) Posts] Recruitment Rules, 1968, for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:—

"4. *Disqualification.*—No person;—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has enfered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule."

[No. A-12018/4/70-E.I.]

G. RAMANATHAN, Under Secy.

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1971

जी० एस० आर० 472.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क्स, महा-नियंत्रक का कार्यालय [श्रेणी 1 तथा 2 (राजपत्रित) पद] भर्ती नियम, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों को पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क्स, महा-नियंत्रक का कार्यालय [श्रेणी 1 तथा 2 (राजपत्रित) पद] भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 कहा जायगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ;

2. पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क्स महानियंत्रक का कार्यालय [श्रेणी 1 तथा 2(राजपत्रित) पद] भर्ती नियम, 1968 में नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4. अनर्हता—कोई भी व्यक्ति :—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से पाणिग्रहण किया है अथवा विवाह कर लिया है, जिसका पति/पत्नी जीवित है, अथवा

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी व्यक्ति से पाणिग्रहण किया है अथवा विवाह कर लिया है।

उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति के प्रकरण में प्रवृत्त होने वाली व्यक्तिक विधि के अन्तर्गत ऐसे विवाह की अनुमति है तथा ऐसे आदेश दिये जाने के कोई विशेष कारण हैं तो वह किसी भी व्यक्ति के मामले में यह नियम लागू करने में छूट दे सकती है।"

[सं० ए—12018/4/70—ई०]

जी० रामनाथन,

अवर सचिव, भारत सरकार।

(Department of Compay Affairs)

New Delhi, the 22nd March 1971

G.S.R. 473.—In exercise of the powers conferred by Section 624A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri P. K. Sethi, as Company Prosecutor for the conduct of prosecutions arising out of the said Act in all courts of the State of Madhya Pradesh, other than the High Court in that State.

[No. F. 46/3/71-CLII.]

M. K. BANERJEE, Under Secy.

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1971

सा० फा० नि० 473.—कम्पनी अधिनियम, 1956(1956 का 1) की धारा 624-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री पी० के० सेठी को मध्य प्रदेश के उच्चन्यायालय के सिवाय इस राज्य के सभी न्यायालयों में, कथित अधिनियम से उत्पन्न सभी अभियोगों की पैरवी करने के लिए कम्पनी अभियोजक के पद पर नियक्त करती है।

[फा० सं० 46/3/71—सी० एल० 2]

एम० के० बनर्जी,

अवर सचिव, भारत सरकार।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 19th March 1971

G.S.R. 474.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Foreign Service, Branch 'B' (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Foreign Service Branch 'B' (Recruitment Cadre, Seniority and Promotion) (Third Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Foreign Service Branch 'B' (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964—

in rule 25, in sub-rule (1) for clause (i) the following clause shall be substituted, namely:—

"(i) The eligible persons in Grade IV of the General Cadre and Cypher Assistants of the Cypher Sub-Cadre shall be arranged in separate lists in the order of their relative seniority in their respective Grades. Thereafter, the Departmental Promotion Committee shall select persons for promotion from each list up to the prescribed quota as indicated in rule 13 and arrange all the persons selected from the two lists in a consolidated order of merit which will determine the seniority of persons on promotion to Integrated Grades II and III of the General Cadre."

[No. 46/GA/71.]

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1971

जी० एस० आर० 474.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' (भरती, संवर्ग, वरीयता और पदोन्नति) नियम, 1964 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम और बनाते हैं, यथा :—

1. (1) ये नियम भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' (भरती, संवर्ग, वरीयता और पदोन्नति) (तृतीय संशोधन) नियम 1971 कहलाएंगे।

(2) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' (भरती, संवर्ग, वरीयता और पदोन्नति) नियम 1964 में—

नियम 25, उपनियम (1) के खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, यथा :—

"(1) बीजांक उपसंवर्ग के बीजांक सहायकों तथा सामान्य संवर्ग के वर्ग IV के सुपात्र व्यक्तियों को उनके अपने-अपने वर्गों में उनकी सापेक्ष वरीयता के अनुसार अलग-अलग सूचियों में रखा जाएगा। उसके पश्चात् विभागीय पदोन्नति समिति प्रत्येक सूची में से, नियम 13 में वर्णित निर्धारित कोटे तक व्यक्तियों का चयन करेगी और दोनों सूचियों में से चुने गये सभी व्यक्तियों को समेकित योग्यताक्रम में रखेगी जिससे सामान्य संवर्ग के एकीकृत वर्ग ii और iii में पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की वरीयता निश्चित होगी।"

[सं० 46/जीए/71]

G.S.R. 475.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Foreign Service, Branch 'B' (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Foreign Service Branch 'B' (Recruitment Cadre, Seniority and Promotion) (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1969.

2 In the Indian Foreign Service Branch 'B' (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964—

(1) in rule 2.—

(a) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:—

"(g) "direct recruit" means—

(i) in relation to Grade VI of the General Cadre and Grade III of the Stenographers' Sub-Cadre, a person recruited on the basis of a competitive examination held by the Commission or by the Secretariat Training School, and

(ii) in relation to other Grades, a person recruited on the basis of a competitive examination, other than a departmental competitive examination, held by the Commission;";

(b) after clause (n), the following clause shall be inserted, namely:—

"(nn) "Secretariat Training School" means the Secretariat Training School of the Department of Personnel in the Cabinet Secretariat;";

(2) in rule 3, in sub-rule (1), under the heading "Stenographers' Sub-Cadre", for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

Selection Grade	Personal Secretaries at Headquarters and in Missions or Posts abroad	Class II (Gazetted)	Ministerial
Grade I	Senior Personal Assistants at Headquarters and in Mission or Posts abroad	Class II (Gazetted)	Ministerial
Grade II	Personal Assistants at Headquarters and in Missions or Posts abroad	Class II (Non-Gazetted)	Ministerial
Grade III	Stenographers at Headquarters and in Missions or Posts abroad	Class III (Non-Gazetted)	Ministerial,"

(3) for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:—

"7. *Power to post against equivalent post*

(1) The Controlling authority, if it is satisfied, that it is in the public interest to do so—

(i) may post an employee of the Integrated Grades II and III of the General Cadre against a post in the Selection Grade of the Stenographers' Sub-Cadre and in exchange, post an employee of the Selection Grade of the Stenographers' Sub-Cadre against a post in the Integrated Grades II and III of the General Cadre;

(ii) may post a Cypher Assistant of the Cypher Sub-Cadre against a post in Grade IV of the General Cadre.

(2) An employee posted under sub-rule (1) shall continue to draw the Grade pay admissible to him from time to time in his own Grade.";

(4) for rule 10, the following rule shall be substituted, namely:—

"10. *Duty posts to be held by Cadre Officers.*

Every duty post in a Cadre shall, unless declared to be excluded from the Cadre or held in abeyance for any reason under rule 6 or utilised otherwise in accordance with rule 7, be held by a cadre officer of the appropriate Grade.";

(5) for rule 12, the following rule shall be substituted, namely:—

12. *Recruitment to Grade I of the General Cadre.*

(1) Vacancies in Grade I of the General Cadre shall be filled by promotion of the permanent officers of the Integrated Grades II and III of the General Cadre, and of permanent officers of the Selection Grade of the Stenographers' Sub-Cadre who have worked as Section Officers in the Integrated Grades II and III of the General Cadre for at least a period of two years:

Provided that an officer of the Selection Grade of the Stenographer sub-Cadre who has not worked in the Integrated Grades II and III for the said period of two years shall also be considered for promotion to Grade I of the General Cadre if he is otherwise eligible for such promotion and the Controlling authority, for the reasons to be recorded in writing, is satisfied that such a person had not worked in the Integrated Grades II and III of the General Cadre in the exigencies of service;

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), for promotion of Cypher Superintendents, a quota of vacancies in Grade I of the General Cadre shall be fixed from time to time by the Controlling authority in consultation with the Commission.

(3) No person shall be eligible for promotion to Grade I of the General Cadre unless he has rendered at least eight years of approved service in his Grade:

Provided that the said period of eight years shall be reviewed by the Controlling authority from time to time and shall be progressively increased to ten years in consultation with the Commission:

Provided further that if any person appointed to the Integrated Grades II and III of the General Cadre or to the Selection Grade of the Stenographers' Sub-Cadre or to Grade I of the Cypher Sub-Cadre, as the case may be, is considered for promotion to Grade I of the General Cadre in accordance with the provisions of sub-rules (1) and (2), all persons senior to him in that Grade shall also be considered notwithstanding that they may not have rendered eight years of approved service in that Grade.

Note.—The period of eight years of approved service in the case of an officer of the Selection Grade of the Stenographers' Sub-Cadre, shall include the period of service rendered in the Integrated Grades II and III of the General Cadre or in Grade I of the Stenographers' Sub-Cadre before first August, 1969 or both, as the case may be.

(4) The Controlling authority, in consultation with the Commission,—

(i) shall prepare a Select List for Grade I of the General Cadre on the basis of merit from among officers eligible for promotion under sub-rules (1), (2) and (3);

(ii) may revise such Select List from time to time.

(5) The Select List shall be prepared and revised in accordance with regulations made in this behalf by the Controlling authority in consultation with the Commission.";

(6) in rule 13;—

(a) in sub-rule (2), for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(ii) The rest of the promotion quota for inclusion in the Select List shall consist of persons to be promoted on the basis of selection on merit from amongst officers of Grade IV of the General Cadre and Cypher Assistants of the Cypher Sub-Cadre who have rendered not less than eight years of approved service in any of the Grades:

Provided that if any person appointed to such a Grade is considered for promotion to the Integrated Grades II and III of the General Cadre in accordance with the provisions of this sub-rule all persons senior to him in that Grade shall also be considered, notwithstanding that they may not have rendered eight years of approved service in that Grade.";

(b) sub-rule (4), shall be omitted;

(7) for rule 17, the following rule shall be substituted, namely:—

"17. Initial appointment to the different Grades of the Stenographers' Sub-Cadre on 1st August 1969.

(1) The permanent and temporary officers of each Grade on 1st August, 1969, shall be such as may be determined by the Controlling authority, from amongst departmental candidates. For the purposes of this rule, the following shall be considered as departmental candidates, namely—

(a) persons who immediately before 1st August, 1969 have, been regularly appointed to the posts of Grade I and Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre, and to the posts in the Grades V and VI of the General Cadre for performing duties of stenotypists and drawing a special pay for the same;

(b) persons who on 1st August, 1969, hold any of the posts in Grade I and Grade II mentioned in clause (a) in a permanent or temporary capacity, wherever they may be employed on that date and persons belonging to the Grades V and VI of the General Cadre who may be on deputation in public interest to posts of Stenographer, Personal Assistant or other similar posts in whose case it is certified that but for deputation they would have continued to hold the posts of stenotypists.

(2) For the purpose of constitution of each Grade of the Stenographers' Sub-Cadre, the following general principles shall be observed, namely:—

(a) posts in the Selection Grade of the Stenographers' Sub-Cadre shall be filled by departmental candidates holding substantive appointment in Grade I immediately before 1st August, 1969, who may be screened for such appointment on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit.

(b) departmental candidates who were holding substantive appointments in Grade I, immediately before 1st August, 1969, who are assessed as not suitable for appointment to the Selection Grade shall be absorbed in the next lower grade. Such officers shall be eligible to be considered at the maintenance stage for appointment to a temporary post in the Selection Grade and they shall reckon their seniority on appointment to that Grade according to the order of their selection for such appointment.

(c) all posts in Grade I of the Stenographers' Sub-Cadre shall be filled by—

(i) departmental candidates who are declared as suitable for appointment to Selection Grade but are not appointed thereto on account of sufficient number of vacancies not being available in that Grade;

(ii) departmental candidates referred to in clause (b) of this sub-rule;

(iii) departmental candidates who may be holding temporary posts in Grade I immediately before 1st August, 1969.

(d) permanent and temporary posts in Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre shall be filled by departmental candidates holding appointments in Grade II immediately before the 1st August, 1969 in the order of their seniority.

(e) posts in Grade III of the Stenographers' Sub-Cadre shall be filled by the appointment of departmental candidates holding posts of stenotypists:

Provided that (i) they have passed a stenography test held by the Secretariat Training School, or, (ii) they shall within the stipulated period pass such a test, or, (iii) they have been specifically exempted by the Controlling authority from passing such a test:

Provided further that the substantive appointment or continuance in Grade III of the Stenographers' Sub-Cadre beyond the period of probation as laid down in rule 26, of persons appointed as stenotypists on the basis of stenography test held departmentally and appointed to Grade III under this rule shall be subject to their passing a stenography test held by the Secretariat Training School.";

(8) for rule 18, the following rules shall be substituted, namely:—

"18. *Recruitment to the Selection Grade and Grade I.*—(1) Vacancies in the Selection Grade of the Stenographers' Sub-Cadre shall be filled by promotion on the basis of merit of officers of Grade I of the Stenographers Sub-Cadre who have rendered not less than six years of approved service in that Grade:

Provided that officers referred to in sub-clauses (i), (ii) and (iii) of clause (c) of sub-rule (2) of rule 17, shall be eligible to be considered for promotion to the Selection Grade notwithstanding that they may not have rendered six years of approved service in Grade I:

Provided further that if any person who is appointed to Grade I of the Stenographers' Sub-Cadre is considered for promotion to Selection Grade in accordance with the provisions of this sub-rule, all persons senior to him in Grade I shall also be so considered notwithstanding that they may not have rendered six years of approved service in that Grade.

(2) Vacancies in Grade I of the Stenographers' Sub-Cadre shall be filled by promotion on the basis of merit of officers of Grade II who have rendered not less than eight years of approved service in that Grade:

Provided that if any person who is appointed to Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre is considered for promotion to Grade I in accordance with the provisions of this sub-rule, all persons senior to him in Grade II shall also be so considered notwithstanding that they may not have rendered eight years of approved service in that Grade.

(3) Substantive appointments to substantive vacancies in the Selection Grade and Grade I, as the case may be, shall be made in the order of seniority of temporary officers of the respective Grade except when for reasons to be recorded in writing a person is not considered fit for such appointment in his turn.

18A. *Recruitment to Grade II and Grade III.*—(1) 66⅔ per cent of the vacancies in Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre shall be filled by direct recruitment on the result of an open competitive examination held by the Commission for the purpose from time to time. The remaining vacancies shall be filled by the appointment of persons included in the Select List for this Grade.

(2) The Select List referred to in sub-rule (1) shall be prepared in the following manner:—

(i) 33-1/3 per cent of the quota for inclusion in the Select List shall consist of persons to be promoted on the basis of a limited competitive examination to be held by the Secretariat Training School for this purpose.

(ii) The rest of the promotion quota for inclusion in the Select List shall consist of persons to be promoted on the basis of their seniority subject to the rejection of the unfit from amongst the employees of Grade III who have rendered not less than five years of approved service in that Grade:

Provided that if any person appointed to Grade III of the Stenographers' Sub-Cadre is considered for promotion to Grade II in accordance with the provisions of this sub-rule, all persons senior to him in Grade III shall also be considered notwithstanding that they may not have rendered 5 years of approved service in that Grade:

Provided further that when the number of persons available for appointment in any year under clause (i) or clause (ii) is less than the quota, the deficiency shall be made up by direct recruitment on the results of the open competitive examination held by the Commission.

(3) The length of approved service for promotion to Grade II prescribed in sub rule (2), may be reviewed by the Controlling authority once every three years and revised, if necessary.

(4) Substantive appointments to substantive vacancies in Grade II shall be made in the order of seniority of temporary officers appointed to the Grade except when, for reasons to be recorded in writing, a person is not considered fit for such appointment in his turn.

(5) Vacancies in Grade III of the Stenographers' Sub-Cadre shall be filled by direct recruitment on the basis of competitive examination held for the purpose by the Secretariat Training School, limited to officers of Grades V and VI of the General Cadre:

Provided that to the extent a sufficient number of qualified candidates are not available for appointment on the result of such competitive examinations, the vacancies may be filled provisionally or on regular basis, in such manner as may be determined by the Controlling authority.

(6) The Controlling authority may by order specify the number of vacancies in Grade III to be filled permanently or temporarily on the results of any examination referred to in sub-rule (5).

(7) Substantive appointments to substantive vacancies in Grade III other than those to be permanently filled in pursuance of any order made under sub-rule (6) shall be made in the order of seniority of temporary officers of the Grade except when, for reasons to be recorded in writing, a person is not considered fit for such appointment in his turn.";

(9) for rule 20, the following rule shall be substituted, namely:—

"20. *Qualifications, age etc. for persons appearing in the open as well as limited competitive examination.*—The competitive examination referred to in sub-rules (1) and (2) of the rule 13, and in rules 14, 16 and 18A shall be held and conducted in accordance with the regulations made from time to time by Government, in consultation with the Commission, wherever such consultation is necessary.";

(10) in rule 22, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) The seniority *inter se* of persons appointed on the result of a competitive examination held by the Commission or by the Secretariat Training School, as the case may be, shall be in accordance with the respective ranks obtained by them in such examinations:

Provided that persons appointed as a result of an earlier examination will be senior to those appointed as a result of a subsequent examination:

Provided further that the seniority of persons recruited through the competitive examination held by the Commission in whose cases offers of appointment are revived after being cancelled shall be such as may be determined by the Controlling authority in consultation with the Commission.";

(11) in rule 23, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) The seniority *inter se* of persons appointed on the results of limited competitive examinations held by the Commission or by the Secretariat Training School or on the results of the departmental examination conducted by the Controlling authority shall be in accordance with the respective ranks obtained by them in such examinations:

Provided that persons appointed as a result of an earlier examination shall be senior to those appointed as a result of subsequent examination.";

(12) for rule 25, the following rule shall be substituted, namely:—

"25. *Seniority inter se of the officers appointed to a Grade from different sources.*

(1) *Integrated Grades II and III of the General Cadre.*

(i) Persons promoted from Grade IV of the General Cadre and Cypher Assistants of the Cypher Sub-Cadre shall be interspersed in the Integrated Grades II and III in the same proportion as the one in which they are drawn from their respective cadres as indicated in clause (ii) of sub-rule (2) of rule 13.

Illustration.—If the rate is six Grade IV employees of the General Cadre to one Cypher Assistant of the Cypher Sub-Cadre, the interspersing shall be six of the former followed by one of the latter.

(ii) the relative seniority of—

(a) persons promoted on the basis of a panel drawn by a duly constituted Departmental Promotion Committee,

(b) persons promoted on the basis of limited competitive examination,

(c) direct recruits,

shall be determined according to the rotation of vacancies among three categories in the order indicated above and the rotation shall be based on the quotas of vacancies reserved for promotion or recruitment respectively in these rules.

(2) *Grade IV of the General Cadre.*—The relative seniority of—

(a) persons promoted in accordance with sub-rule (2) of rule 14,

(b) persons directly recruited through the Commission in accordance with sub-rule (1) of rule 14,

shall be determined according to the rotation of vacancies among the two categories in the order indicated above.

(3) *Grade VI of the General Cadre.*—Persons recruited to the Grade VI under the provisions or proviso to sub-rule (1) and of sub-rule (4) of rule 16 shall have such *inter se* seniority as may be assigned to them by the Controlling authority in consultation with the Commission.

(4) *Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre.*—(i) The seniority *inter se* of officers appointed to the Grade before 1st August, 1969, shall be regulated by their relative seniority as determined before that date.

Provided that if the seniority of any such officer had not been specifically determined before that date, it shall be as determined by the Controlling authority.

(ii) the relative seniority of persons appointed to the Grade after the Ist day of August, 1969:—

(a) by promotion on the basis of a panel drawn by a duly constituted Departmental Promotion Committee,

(b) by promotion on the basis of limited competitive examination,

(c) by direct recruitment on the results of competitive examination held by the Commission,

shall be determined according to the rotation of vacancies among these three categories in the order indicated above based on the quotas of vacancies specified for each method of recruitment under rule 18A and for this purpose the vacancies filled by direct recruitment under the second proviso to sub-rule (2) of rule 18A shall be transferred from the promotion quota to direct recruitment.

(5) *Grade III of Stenographers' Sub-Cadre.*—The seniority *inter se* of persons appointed to the Grade in accordance with clause (e) of sub-rule (2) of rule 17 shall be determined on the basis of their relative seniority in their respective Grades from which they are drawn, employees of Grade V of the General Cadre *en bloc* being senior to those of Grade VI of the General Cadre The *inter se* seniority of persons appointed in accordance with sub-rules (5), (6) and (7) of rule 18A, shall be regulated, in accordance with rule 22.

(6) *Cypher Assistants of Cypher Sub-Cadre.*—(i) The seniority *inter se* of transferees shall be so fixed that all persons transferred under clause (i) of rule 19 shall be allotted seniority from the dates they count their seniority in their respective parent Grades.

Provided that the relative seniority in the present Grade of persons transferred from the same Grade, shall not be disturbed.

(ii) Persons appointed on the results of a Departmental Examination shall be allotted seniority from the date of publication of the results of the examination. The *inter se* seniority of such persons shall be according to the ranks obtained by them in that examination.

Explanatory Memorandum

The Grade structure of the Stenographers' Sub-Cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B' is patterned on the lines of that of Central Secretariat Stenographers' Service. Since the Central Secretariat Stenographers' Service was re-organised with effect from 1st August, 1969, in terms of the Central Secretariat Stenographers' Service Rules, 1969, it became necessary to re-organise the Stenographers' Sub-Cadre of the IFS(B) also with effect from 1st August, 1969.

2. Since the rules relating to the re-organisation of the Stenographers' Sub-Cadre of the IFS(B) could be finalised only after the promulgation of CSSS Rules, 1969, it was necessary to give retrospective effect from 1st August, 1969 to the amendments to the IFS'B' (RCSP) Rules, 1964 containing the rules relating to the re-organisation of the Stenographers' Sub-Cadre.

3. The rights of none will be prejudicially affected by promulgation of the rule referred to above, with retrospective effect.

[No. F.44-GA/71.]

जी० एस० आर० 475.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति इसके द्वारा भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' (भरती, संवर्ग, वरीयता एवं पदोन्नति) नियम, 1964 में संशोधन करने के लिये नीचे लिखे नियम भी बनाते हैं, यथा:—

1. (1) इन नियमों को भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' (भरती, संवर्ग, वरीयता एवं पदोन्नति) (संशोधन) नियम, 1971 की संज्ञा दी जाएगी।

(2) इन्हें 1 अगस्त, 1969 से ही लागू माना जाएगा।

2. भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' (भरती, संवर्ग, वरीयता एवं पदोन्नति) नियम, 1964 के—

(1) नियम 2 में—

(क) धारा (छ) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, यथा :—

"(छ)" सीधी भरती का अर्थ है —

(1) सामान्य संवर्ग के वर्ग-छह और आशुलिपिक संवर्ग के वर्ग-तीन के सम्बन्ध में, ऐसा व्यक्ति जिसकी भरती आयोग अथवा सचिवालय प्रशिक्षण शाला की प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर हुई है, तथा

(2) अन्य वर्गों के सम्बन्ध में, ऐसा व्यक्ति जिसकी भरती आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा से इतर हुई हो";

(ख) धारा (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, यथा :—

"(ढ) सचिवालय प्रशिक्षण शाला का अर्थ है मंत्रिमंडलसचिवालय के कार्मिक विभाग की सचिवालय प्रशिक्षण शाला;" ;

(2) नियम 3 के उपनियम (1) में "आशुलिपिक" उप-संवर्ग शीर्षक के अन्तर्गत दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी, यथा :—

प्रवरण वर्ग	विदेश स्थित मिशनों अथवा केन्द्रों तथा मुख्यालय में निजी सचिव ।	श्रेणी—दो (राजपत्रित)	मंत्रालयी
वर्ग—एक	विदेश स्थित मिशनों अथवा केन्द्रो तथा मुख्यालय में प्रवर निजी सहायक ।	श्रेणी—दो (राजपत्रित)	मंत्रालयी
वर्ग—दो	विदेश स्थित मिशनों अथवा केन्द्रों तथा मुख्यालय में निजी सहायक ।	श्रेणी—दो (अराजपत्रित)	मंत्रालयी
वर्ग—तीन	विदेश स्थित मिशनों अथवा केन्द्रों तथा मुख्यालय में आशुलिपिक ।	श्रेणी—तीन (अराजपत्रित)	मंत्रालयी

(3) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, यथा :—

"7. **किसी सजकक्ष पद पर रखने का अधिकार**

(1) नियंत्रण प्राधिकरण, यदि संतुष्ट हो कि ऐसा करना जनहित में है, तो —

(1) आशुलिपिक उप-संवर्ग के प्रवरण वर्ग के किसी पद पर सामान्यसंवर्ग के एकीकृत वर्ग-दो और तीन के किसी कर्मचारी को रख सकते हैं तथा उसके बदले में आशुलिपिक उप-संवर्ग के प्रवरण वर्ग के किसी कर्मचारी को सामान्य संवर्ग के एकीकृत वर्ग-दो और तीन की किसी जगह पर ;

(2) सामान्य संवर्ग के वर्ग-चार के पद पर बीजांक संवर्ग के बीजांक सहायक को रख सकते हैं ।

(2) उप-नियम (1) के अन्तर्गत रखे गये किसी भी कर्मचारी को वह वर्ग वेतन निरन्तर मिलता रहेगा जिसका कि वह अपने वर्ग में समय-समय पर पाने का अधिकारी होगा ;"

(4) नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, यथा :—

"10. **संवर्ग अधिकारियों द्वारा धारित ड्यूटी पोस्ट**"

किसी संवर्ग की प्रत्येक ड्यूटी पोस्ट पर तब तक उपयुक्त वर्ग का ही कोई संवर्ग अधिकारी रहेगा जब तक कि उसे संवर्ग से हटा हुआ न घोषित किया गया हो अथवा नियम 6 के अधीन किसी कारण से उसे आस्थगित न रखा गया हो अथवा नियम 7 के अनुसार उसका अन्यथा उपयोग न कर लिया गया हो ।"

(5) नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा; यथा :—

"(12). **सामान्य संवर्ग के वर्ग एक में भरती**

(1) सामान्य संवर्ग के वर्ग-एक के रिक्त स्थान सामान्य संवर्ग के एकीकृत वर्ग—दो एवं तीन के स्थायी अधिकारियों तथा आशुलिपिक संवर्ग के प्रवरण वर्ग के ऐसे स्थायी अधिकारियों द्वारा भरे जायेंगे जिन्होंने सामान्य संवर्ग के एकीकृत वर्ग—दो और तीन में अनुभाग अधिकारी के रूप में कम से कम दो वर्ष काम किया हो ।

किन्तु यह भी व्यवस्था है कि आशुलिपिक संवर्ग के प्रवरण वर्ग के किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर भी सामान्य संवर्ग के वर्ग-एक में पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है जिसने उक्त दो वर्ष की अवधि तक एकीकृत वर्ग-दो एवं तीन में काम न किया हो, बशर्ते वह ऐसी पदोन्नति का अन्यथा पात्र हो और नियंत्रण प्राधिकरण इस ओर से संतुष्ट हो, और इसे लिखित रूप में से दर्ज करे, कि उक्त व्यक्ति ने सेवा की आवश्यकता के कारण एकीकृत वर्ग-दो और तीन में काम नहीं किया ।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्निहित बातों के बावजूद नियंत्रण प्राधिकारी आयोग की सलाह से समय-समय पर सामान्य संवर्ग के वर्ग-एक के रिक्त पदों पर बीजांक-अधीक्षकों की पदोन्नति के लिए कोटा निर्धारित करेगा ।

(3) ऐसा कोई भी व्यक्ति सामान्य संवर्ग के वर्ग 1 में पदोन्नति का पात्र नहीं होगा जिसने अपने वर्ग में आठ वर्ष की अनुमोदित सेवा न की हो । लेकिन यह व्यवस्था है कि उपर्युक्त 8 वर्ष की अवधि पर नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विचारा जायेगा और आयोग के परामर्श पर इसे उत्तरोत्तर 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जायेगा ।

और यह भी व्यवस्था है कि सामान्य संवर्ग के स्वीकृत वर्ग-दो और तीन में या आशुलिपिक उपसंवर्ग के प्रवरण वर्ग में या बीजांक उप-संवर्ग के वर्ग-एक में जैसी भी स्थिति हो, नियुक्त अगर किसी व्यक्ति के नाम पर उपनियम (1) और (2) के अनुसार सामान्य संवर्ग के वर्ग—एक में पदोन्नति के लिए विचारा जाता है तो उस संवर्ग में उसे वरिष्ठ सभी व्यक्तियों के नामों पर भी विचार किया जाएगा चाहे उन्होंने उस वर्ग में 8 वर्ष की अनुमोदित सेवा न भी की हो ।

नोट :—आशुलिपिक उपसंवर्ग के प्रवरण वर्ग के किसी अधिकारी के मामले में 8 साल की अनुमोदित सेवा में वह सेवा भी शामिल होगी जो उसने 1 अगस्त, 1969 से पहले सामान्य संवर्ग के एकीकृत वर्ग-दो और तीन में अथवा आशुलिपिक उपसंवर्ग के वर्ग-एक में, या दोनों में, जैसी भी स्थिति हो, की होगी ।

(4) आयोग के परामर्श से नियंत्रण प्राधिकरण —

(1) उपनियम (1), (2) और (3) के अन्तर्गत पदोन्नति के योग्य अधिकारियों में से योग्यता के आधार पर सामान्य संवर्ग के वर्ग-एक के लिए वरण सूची तैयार करेगा;

(2) समय-समय पर ऐसी वरण सूची में संशोधन करेगा ।

(5) आयोग के परामर्श से नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार वरण सूची तैयार करेगा और उसमें संशोधन करेगा ।"

(6) नियम 13 में —

(क) उप नियम (2) में धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी; यथा :—

"(2) वरण सूची में शामिल किए जाने के लिए बाकी पदोन्नति कोटा में वे व्यक्ति सम्मिलित किये जायेंगे जिन्हें सामान्य संवर्ग वर्ग-चार में से और बीजांक उप संवर्ग के बीजांक सहायकों में से योग्यतानुसार चयन के आधार पर पदोन्नत किया जाना होगा और जिन्होंने इनमें से किसी भी वर्ग में कम से कम आठ वर्ष की सेवा की होगी ।

लेकिन यह व्यवस्था है कि इस उपनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे किसी वर्ग में नियुक्त व्यक्ति के नाम पर अगर उसे सामान्य संवर्ग के एकीकृत वर्ग-दो और तीन में पदोन्नत करने के लिए विचार किया जाना है तो उस वर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्तियों के नामों पर भी विचार किया जाएगा चाहे उन्होंने उस वर्ग में आठ वर्ष की अनुमोदित सेवा न भी की हो ।

(ख) उप नियम (4) को हटा दिया जायेगा ;

(7) नियम 17 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा; यथा —

"17. 1 अगस्त, 1969 को आशुलिपिक उप संवर्ग के विभिन्न वर्गों में प्रारम्भिक नियुक्ति

(1) 1 अगस्त, 1969 को प्रत्येक वर्ग के स्थायी और अस्थायी अधिकारी वही होंगे जो नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा विभागीय अभ्यर्थियों में से निश्चित किये गये हों । इस नियम के संदर्भ में, निम्नलिखित को विभागीय अभ्यार्थी माना जायेगा, यथा —

(क) वे व्यक्ति जो 1 अगस्त, 1969 से तुरन्त पहले आशुलिपिक उप संवर्ग के वर्ग-एक और वर्ग-दो में और सामान्य संवर्ग के वर्ग-पांच और छह पदों पर आशु-टंकक का कार्य करने के लिए नियमित आधार पर नियुक्त किए गए हों और उस काम के लिए विशेष वेतन पा रहे हो ;

(ख) वे व्यक्ति जो 1 अगस्त, 1969 को उपर्युक्त धारा (क) में उल्लिखित वर्ग-एक और वर्ग-दो किसी भी पद पर अस्थायी अथवा स्थायी, किसी भी रूप में कार्य कर रहे हों, उस तिथि को चाहे वे कहीं भी नियोजित हों, और सामान्य संवर्ग के वर्ग-पांच और छह के वे सभी व्यक्ति जो जनहित में आशु-लिपिक, सहायक या और समकक्ष पद पर प्रतिनियुक्ति हों और जिनके बारे में यह प्रमाणित कर दिया जाए कि अगर व प्रतिनियुक्त पर न गये होते तो आशु-टंकक के पद पर कार्य कर रहे होते ।

(2) आशुलिपिक उप संवर्ग के प्रत्येक वर्ग के संगठन हेतु निम्नलिखित सामान्य नियम ध्यान में रक्खें जायेंगे; यथा :—

(क) आशुलिपिक उपसंवर्ग में प्रवरण वर्ग के पदों को उन विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा जो 1 अगस्त 1969 के तरन्त पहले वर्ग-एक में मल

नियुक्ति पर हो; इस तरह की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता के आधार पर उनकी जांच की जा सकती है, लेकिन जो अयोग्य होगा उसे छोड़ दिया जाएगा।

(ख) ऐसे विभागीय अभ्यार्थी को, जो 1 अगस्त, 1969 के तुरन्त पहले वर्ग-एक में स्थायी नियुक्ति पर थे और जो प्रवरण वर्ग के लिए योग्य नहीं ठहराये गये, एक वर्ग नीचे के वर्ग में ले लिया जायेगा। ऐसे अधिकारियों के नामों पर अनुरक्षण स्तर पर प्रवरण वर्ग के लिए विचार किया जा सकता है और इस वर्ग में नियुक्ति होने पर वह अपनी वरिष्ठता इस प्रकार की नियुक्ति के लिए चुने जाने के आदेश के अनुसार मानेंगे।

(ग) आशुलिपिक उप संवर्ग के वर्ग-एक के सभी पद निम्नलिखित अभ्यार्थियों में भरे जायेंगे :—

(1) वे विभागीय अभ्यर्थी जो प्रवरण वर्ग में नियुक्ति के योग्य घोषित किये गये हों परन्तु इस वर्ग में पर्याप्त स्थान सुलभ न होने के कारण नियुक्त न किये जा सके हों ;

(2) इस उपनियम की धारा (ख) में बताये गये विभागीय अभ्यार्थी;

(3) वे विभागीय अभ्यार्थी जो 1 अगस्त, 1969 के तुरन्त पहले वर्ग-एक के अस्थायी पद पर कार्य कर रहे हो।

(घ) आशुलिपिक उप संवर्ग के वर्ग-दो के स्थायी और अस्थायी पद ऐसे विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा वरिष्ठता के आधार पर भरे जायेंगे। जो 1 अगस्त, 1969 के तुरन्त पहले वर्ग-दो में कार्य कर रहे होंगे।

(ङ) आशुलिपिक उपसंवर्ग के वर्ग-तीन के पद उन विभागीय अभ्यार्थियों में से भरे जायेंगे जो आशु-टंकक के पद पर कार्य कर रहे होंगे : बशर्ते कि (1) उन्होंने केन्द्रीय प्रशिक्षण शाला से आशुलेखन की परीक्षा पास कर ली हो या (2) वे अनुबद्ध समय में परीक्षा पास कर लें, या (3) वे नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा यह परीक्षा पास करने की उन्हें विशेष रूप से छूट दे दी गई हो।

यह भी शर्त है कि आशुलिपिक उप संवर्ग के वर्ग-तीन में स्थायी नियुक्त या नियम 26 के अनुसार परिवीक्षा अवधि के पश्चात् भी ऐसे व्यक्तियों का बना रहना जो विभागीय आशुलिपिक परीक्षा के आधार पर आशु-टंकक नियुक्त किये गये हों, और इस नियम के अधीन वर्ग-तीन में नियुक्त किये गये हों, इस बात पर निर्भर करेगा कि वे सचिवालय प्रशिक्षण शाला से आशुलिपिक की परीक्षा पास कर लें।"

(8) नियम 18 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा; यथा :—

"18 **प्रवरण वर्ग और वर्ग I में भरती**

(1) आशुलिपिक उप संवर्ग के प्रवरण वर्ग में जो स्थान रिक्त होंगे उन्हें आशुलिपिक उप संवर्ग के वर्ग I के ऐसे अधिकारियों में से, उनकी योग्यता के आधार पर

पदोन्नति करके, भरा जाएगा जिन्होंने इस वर्ग में कम से कम छह वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो:

लेकिन यह व्यवस्था है कि नियम 17 के उप नियम (2) की धारा (ग) की उपधारा (I) (II) और (III) में उल्लिखित अधिकारी भी प्रवरण वर्ग में पदोन्नत किए जाने योग्य समझे जाएंगे चाहे उन्होंने वर्ग I में छह वर्ष की अनुमोदित सेवा न भी की हो :

और यह भी व्यवस्था है कि इस उप नियम के प्रावधानों के अनुसार अगर किसी ऐसे व्यक्ति की पदोन्नति प्रवरण वर्ग में करने पर विचार किया जाता है जो आशुलिपिक उप संवर्ग के वर्ग I में नियुक्त है तो वर्ग I में उससे वरिष्ठ जितने भी अधिकारी होंगे उनके नामों पर भी तदनुसार ही विचार किया जाएगा चाहे उन्होंने इस वर्ग में छह वर्ष की अनुमोदित सेवा न भी की हो।

(2) आशुलिपिक उप संवर्ग के वर्ग I के रिक्त स्थान वर्ग II के ऐसे अधिकारियों में योग्यता के आधार पर पदोन्नति करके भरे जाएंगे जिन्होंने इस वर्ग में कम से कम आठ वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो :

लेकिन यह व्यवस्था है कि इस उप नियम के प्रावधानों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को वर्ग I में पदोन्नत करने पर विचार किया जाता है तो वर्ग II में उससे वरिष्ठ जितने भी अधिकारी होंगे उनके नामों पर भी तदनुसार ही विचार किया जाएगा चाहे उन्होंने इस वर्ग में आठ वर्ष की अनुमोदित सेवा न भी की हो।

(3) प्रवरण वर्ग और वर्ग I के मूल रिक्त स्थानों पर जैसी भी स्थिति हो मूल नियुक्तियां तत्सम्बन्धी वर्ग के अस्थायी अधिकारियों में से वरीयता क्रमानुसार की जाएंगी केवल उस स्थिति को छोड़ कर जब कि किसी व्यक्ति को उसकी बारी पर इस तरह की नियुक्ति के योग्य न समझा जाए जिसके कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे।

18 वर्ग II और वर्ग III में भरती

(1) आशुलिपिक उप संवर्ग के वर्ग II में जितने भी रिक्त स्थान होंगे उनमें से 62 1/2 प्रतिशत स्थान, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस उद्देश्य से समय-समय पर ली गई खुली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भरती द्वारा भ जाएंगे शेष रिक्त स्थान उन व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे जिनके नाम इ वर्ग की वरण सूची में होंगे।

(2) उप नियम (1) में उल्लिखित वरण सूची नीचे बताए गए तरीके से तैयार क जाएगी :

(i) वरण सूची में 33 1/3 प्रतिशत ऐसे लोग शामिल किए जाएंगे जिन्हें पदोन्नत किये जाने के उद्देश्य से सचिवालय प्रशिक्षण शाला द्वारा ली गई सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पदोन्नत किया जाना होगा।

(ii) पदोन्नति की दृष्टि से वरण सूची में शामिल किए जाने के लिए शेष नाम वर्ग III के ऐसे कर्मचारियो के होंगे जिन्हें उनकी वरीयता के आधार पर पदोन्नत किया जाना

होगा और जिन्होंने इस वर्ग में कम-से-कम पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा की होगी लेकिन इसमें उन लोगों के नाम नहीं होंगे जो इसके आयोग्य होंगे।

लेकिन यह भी व्यवस्था है कि आशुलिपिक उप संवर्ग के वर्ग III में नियुक्त किसी व्यक्ति के नाम पर इस उप नियम के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किया जाना है तो वर्ग III में उससे वरिष्ठ जितने भी व्यक्ति होंगे उनके नामों पर भी विचार किया जाएगा चाहे उन्होंने इस वर्ग में पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा न भी की हो :

यह भी व्यवस्था है कि अगर किसी वर्ष में धारा (I) अथवा धारा (II) के अन्तर्गत नियुक्ति के लिए उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या निर्धारित कोटे से कम होगी तो यह कमी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई खुली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर सीधी भर्ती से पूरी की जाएगी।

(3) वर्ग II में पदोन्नति के लिए उप नियम (2) में सेवा काल की निर्धारित अवधि पर नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा हर तीन वर्ष बाद विचार किया जा सकता है और अगर जरूरी हो तो उसमें संशोधन किया जा सकता है।

(4) वर्ग II में मूल रिक्त स्थानों पर मूल नियुक्तियां इस वर्ग में नियुक्त अस्थायी अधिकारियों की वरिष्ठता क्रम के अनुसार की जाएगी केवल इस दिशा को छोड़ कर जब कि कोई व्यक्ति अपनी बारी आने पर भी इस तरह की नियुक्ति के अयोग्य समझा जाए जिसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाएंगे।

(5) आशुलिपिक उप संवर्ग के वर्ग III के रिक्त स्थान सचिवालय प्रशिक्षण शाला द्वारा ली गई प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, जो सिर्फ सामान्य संवर्ग के वर्ग V और VI के अधिकारियों के लिए ही होगी, सीधी भरती द्वारा भरे जाएंगे।

यह भी व्यवस्था है कि इस तरह की प्रतियोग्यता परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होंगे तो इन रिक्त स्थानों को अस्थायी तौर पर अथवा नियमित आधार पर, जैसा भी नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा तय किया जाए, भरी जा सकती हैं।

(6) नियंत्रण प्राधिकरण अपने आदेश से वर्ग III के उन रिक्त स्थानों की संख्या बताएगा जो उप नियम (5) में उल्लिखित किसी परीक्षा के परिणामों के आधार पर स्थायी अथवा अस्थाई तौर पर भरे जाएंगे।

(7) वर्ग III में मूल रिक्त पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां, उनसे इतर जो उप नियम (6) के अन्तर्गत किए गए किसी आदेश के अनुसार स्थायी रूप से भरे जाने हों, इस वर्ग के अस्थायी अधिकारियों की वरीयता क्रम के अनुसार की जाएंगी, केवल उस दिशा को छोड़कर जब कि किसी व्यक्ति को उसकी बारी आने पर भी इस तरह की नियुक्ति के योग्य न समझा जाए जिसके कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे ;

(9) नियम 20 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, यथा :—

"20. **खुली और सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं, आयु आदि—**

नियम 13 के उप नियम (1) और (2) में तथा नियम 14, 16 और 18क में उल्लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले विनियमों के अनुरूप और जहां कहीं भी संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श की जरूरत होगी, उसका परामर्श लेकर, ली जाएंगी ;

(10) नियम 22 में, उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, यथा :—

"(1) संघ लोक सेवा आयोग अथवा सचिवालय प्रशिक्षण शाला जैसी भी स्थिति हो द्वारा ली गई प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरीयता इन परीक्षाओं में प्राप्त स्तर (रैंक) के अनुसार निश्चित की जाएगी।

लेकिन यह भी व्यवस्था है कि पहले की किसी परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त यक्ति बाद की किसी परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों से वरीय होंगें ;

यह भी व्यवस्था है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरती किए गए ऐसे व्यक्तियों की वरीयता जिसके मामले में नियुक्ति एक बार रद्द करके दुबारा से पहले के आधार पर की गई हो, नियंत्रण प्राधिकरण संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से तय करेगा।"

(11) नियम 23 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, यथा :

"संघ लोक सेवा आयोग या सचिवालय प्रशिक्षण शाला द्वारा ली गई सीमित प्रतियोगिता परीक्षाओं या नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा लिए गए विभागीय परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरीयता इन परीक्षाओं में प्राप्त परिणाम के क्रम के अनुसार होगी :

लेकिन पहले की परीक्षा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति बाद की किसी परीक्षा के आधार पर नियुक्ति व्यक्तियों से वरीय होंगे।

(12) नियम 25 के स्थान पर—निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, यथा :

"25 **विभिन्न स्रोतों से किसी वर्ग में नियुक्त अधिकारियों की परस्पर वरीयता**

(1) **सामान्य संवर्ग का एकीकृत वर्ग II और III**

(i) सामान्य संवर्ग के वर्ग IV से पदोन्नत व्यक्तियों को और बीजांक उप-संवर्ग के बीजांक सहायक को एकीकृत वर्ग II और III में उसी अनुपात से स्थान दिया जाएगा जिस अनपात में उन्हें उनके संवर्गों से लिया जाएगा जैसा कि नियम 13 के उपनियम (2) की धारा (II) में बताया गया है।

उदाहरण : मान लीजिए कि सामान्य संवर्ग के वर्ग IV के 6 कर्मचारी लिए गए हैं और उस के बाद बीजांक उप-संवर्ग का एक बीजांक सहायक, तो वरीयता क्रम

में पहले सामान्य संवग के वर्ग IV से लिए गए 6 कर्मचारी आएंगे और उनके नीचे बीजांक उप संवर्ग का एक सहायक ।

(ii) निम्नलिखित सापेक्ष वरीयता —

(क) यथाविधि गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गई नामिक के आधार पर पदोन्नत किये गए व्यक्ति ,

(ख) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पदोन्नत व्यक्ति,

(ग) सीधी भर्ती से लिए गए व्यक्ति इन तीन श्रेणियों में ऊपर बताए गए क्रमानुसार रिक्त स्थानों को क्रमवार दे कर तय की जाएगी और यह क्रम (रोटशन) इन नियमों में क्रमशः पदोन्नति और भरती से भरे जाने वाले रिक्त स्थानों के कोट पर आधारित होगा ।

(2) **सामान्य संवर्ग का वर्ग IV**

निम्नलिखित की सापेक्ष वरीयता —

(क) नियम 14 के उप-नियम (2) के अनुसार पदोन्नत व्यक्ति,

(ख) नियम 14 के उप-नियम (1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से लिए गए व्यक्ति, ऊपर बताए गए तरीके से दोनों श्रणियों में रिक्त स्थानों के क्रम (रोटेशन) के अनुसार निर्धारित की जाएगी ।

(3) सामान्य संवर्ग का वर्ग

नियम 16 के उप नियम (1) और उपनियम (4) के प्रावधानों और परन्तुकों के वर्ग VI में भरती किये गए व्यक्तियों की परस्पर वरीयता वही होगी जो आयोग के परामर्श से, नियंत्रण प्राधिकरण निश्चित कर देगा :

(4) **आशुलिपिक उप संवर्ग का वर्ग II**

(i) 1 अगस्त, 1969 से पूर्व इस वर्ग में नियक्त अधिकारियों की परस्पर वरीयता उस तारीख से पहले निर्धारित उनकी सापेक्ष वरीयता के आधार पर नियमित होगी ।

लेकिन यदि किसी अधिकारी की वरीयता उस तारीख से पहले स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं हुई है तो वह नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

(ii) 1 अगस्त, 1969 के बाद में इस संवर्ग में नियुक्त व्यक्तियों की सापेक्ष वरीयता :—

(क) यथाविधि गठित किसी विभागीय पदोन्नति, समिति द्वारा तैयार की गई नामिका के आधार पर पदोन्नति द्वारा,

(ख) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा ,

(ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई प्रतियोगिता परीक्षा परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा ,

ऊपर बताई गई विधि से इन तीन श्रेणियां में,रिक्त स्थानों के क्रम (रोटेशन) के अनुसार निर्धारित होगी तो जो नियम 18 क के अधीन भरती की प्रत्येक पद्धति के लिए निर्धारित रिक्त स्थानों के कोटे पर आधारित होंगी और इस कार्य के लिए नियम 18क के उप-नियम (2) के दूसरे उपबन्ध के अधीन सीधी भरती से भरे जाने वाले रिक्त स्थान पदोन्नति कोटा से सीधी भरती को हस्तांतरित कर दिये जाएंगे ।

(5) **आशुलिपिक उप संवर्ग का वर्ग —तीन**

इस संवर्ग में नियम 17 के उप नियम (2) की धारा (ङ) के अनुसार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरीयता उनके अपने सम्बद्ध संवर्गों की सापेक्ष वरीयता के आधार पर जहां से व आए है, निर्धारित की जाएगी । सामान्य संवर्ग के वर्ग-पांच के कर्मचारी सामान्य संवर्ग के वर्ग-छह के कर्मचारियों से सामुहिक रूप से वरीय होंगे । नियम 18 के उपनियम (5), (6) और (7)के अनुसार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरीयता नियम 22 के अनुसार नियमित की जाएगी ।

(6) **बीजांक उप संवर्ग के बीजांक सहायक**

(1) स्थानान्तरित होने वालों की परस्पर वरीयता इस प्रकार निश्चित की जाएगी कि स्थानान्तरित होने वाले सभी व्यक्ति नियम 19 की धारा (1) के अधीन अपने अपने मूल वर्गों में जिस दिन से उनकी वरीयता गिनी गई हो उन्हें उसी दिन से वरीयता दी जाएगी ।

लेकिन उसी वर्ग से स्थानान्तरित होने वाले व्यक्तियों के वेतमान वर्ग में सापेक्ष वरीयता को नहीं बदला जाएगा ।

(2) विभागीय परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की वरीयता संबद्ध परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने की तिथि से दी जाएगी । ऐसे व्यक्तियों को परस्पर वरीयता परीक्षा में प्राप्त स्थान के अनुसार दी जाएगी ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के आशुलिपिक उप संवर्ग की वर्ग संरचना, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की वर्ग संरचना की भांति ही रखी गई है । चूंकि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 के अनुसार, 1–8–1969 से पुनर्गठन किया गया था, इसलिए भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के आशुलिपिक उप संवर्ग का भी 1–8–1969 से पुनर्गठन करना आवश्यक हो गया ।

2. चूंकि भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक उप संवर्ग के पुनर्गठन से सम्बद्ध नियमों को, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 के जारी होने के बाद ही अन्तिम रूप दिया जा सका भारतीय विदेश सेवा 'ख' (आरसीएसपी) नियम, 1964 के संशोधनों को 1–8–1969 से पूर्वव्यापी प्रभाव देना आवश्यक था, जिसमें आशुलिपिक उप संवर्ग के पुनर्गठन से सम्बद्ध नियम उल्लिखित है ।

3. उपर्युक्त नियम को पूर्वव्यापी प्रभाव दे कर जारी करने से किसी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[सं० 44 /जी ए / 71.]

G.S.R. 476.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Foreign Service, Branch 'B' (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Foreign Service, Branch 'B' (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) (Second Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 21st day of November, 1970.

2. In the Indian Foreign Service, Branch 'B', (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964,—

(1) in rule 2, in clause (g), in sub-clause (i), the words "by the Commission or" shall be omitted;

(2) in rule 15, the words "in consultation with the Commission" shall be omitted.

(3) in rule 16,—

(a) in sub-rule (1),—

(i) in clause (i), for the words "Controlling authority", the words "Secretariat Training School" shall be substituted;

(ii) in clause (ii)—

(1) for the word "Commission", the words "Secretariat Training School" be substituted;

(2) in the proviso, the words "in consultation with the Commission" shall be omitted;

(b) in sub-rule (3), for the word "Commission", the words "Secretariat Training School" shall be substituted.

(c) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), the Controlling authority may fill not more than five per cent of the vacancies arising in a year in a manner otherwise than provided for in these rules, by appointment of a son or daughter or wife or husband or bother or sister of a Government servant who dies during the period of his service.";

(4) in rule 22, in sub-rule (1), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that persons appointed to Grade VI of the General Cadre on basis of the competitive examination held in a particular year by the Secretariat Training School, in terms of clause (i) of sub-rule (1) of rule 16, shall en bloc be ranked junior to the recruits of the open competitive examination held in that year by the Secretariat Training School.";

(5) in rule 25, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) *Grade VI of the General Cadre.*

(i) Seniority *inter se* of the persons appointed to Grade VI on the results of the competitive examination conducted by the Secretariat Training School shall be governed by sub-rule (1) of rule 22.

(ii) Seniority of persons appointed on regular basis under the proviso to clause (ii) of sub-rule (1) of rule 16 shall be such as may be determined by the Controlling authority.

(iii) Persons appointed to Grade VI in accordance with sub-rule (4) of rule 16, shall rank inter-se according to their dates of appointment.

Provided that persons so appointed in a particular year shall en bloc be ranked junior to the persons recruited on the basis of competitive examinations held in that year.";

(6) In rule 29A—

(a) the words "and in consultation with the Commission" shall be omitted;

(b) the following proviso shall be added at the end, namely:—

"Provided that in relation to posts falling within the purview of the Commission, no order in respect of a class or category of persons or posts shall be made except after consultation with the Commission.".

Explanatory Memorandum

The competitive examinations for recruitment to the Lower Division Clerks' Grade in the Indian Foreign Service, Branch 'B', in the Central Secretariat Clerical Service etc. were being conducted by the Union Public Service Commission. The Commission would no longer be conducting such examinations. The Secretariat Training School in the Department of Personnel, Cabinet Secretariat, has since taken over this work. Since the notification for the open competitive examination and the limited competitive examination were issued by the Secretariat Training School in November, 1970, it was necessary to give retrospective effect, from 21st November, 1970, to the Indian Foreign Service, Branch 'B' (Second Amendment) Rules, 1969, to enable the Secretariat Training School, to conduct the examinations for recruitment to Grade VI of the General Cadre of the IFS(B).

2. The right of none will be prejudicially affected by promulgation of the rules, referred to above, with retrospective effect.

[No. F.45-GA/71-]

RANDHIR SINGH, Under Secy.

जी० एस० आर० 476.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' (भरती, संवर्ग, वरीयता और पदोन्नति) नियम 1964 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम और बनाते हैं, यथा :—

1. (1) ये नियम भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' (भरती, संवर्ग, वरीयता और पदोन्नति) (द्वितीय संशोधन) नियम, 1971 कहलायेंगे ।

(2) ये नियम 21 नवम्बर, 1970 से लागू समझे जाएंगे ।

2. भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' (भरती, संवर्ग, वरीयता और पदोन्नति) नियम, 1964 में

(1) नियम 2 के, खण्ड (छ) के, उपखण्ड, (i) में, आयोग द्वारा अथवा' शब्द हटा दिए जाएंगे

(2) नियम 15 में, 'आयोग के परामर्श से' शब्द हटा दिए जाएंगे ।

(3) नियम 16 के —

(क) उप नियम (1) के—

(i) खण्ड (i) में, 'नियंत्रक प्राधिकारी, शब्दों के स्थान पर, 'सचिवालय प्राशिक्षण शाला' शब्द रख दिए जाएं,

(ii) खण्ड (ii) में—

(I) 'आयोग' शब्द के स्थान पर, 'सचिवालय प्रशिक्षण शाला', शब्द रख दिए जाएं;

(II) उपबन्धों में, 'आयोग के परामर्श से; शब्द हटा दिए जाएंगे ;

(ख) उप-नियम (3) में, 'आयोग' के स्थान पर, 'सचिवालय प्रशिक्षण शाला' शब्द रख दिए जाए ।

(ग) उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम लिख दिया जाएगा, यथा :—

"(4) उप नियम (1) और (2) में वर्णित किसी बात का ध्यान न रखते हुए, नियंत्रण प्राधिकारी किसी एक वर्ष में रिक्त होने वाले पदों में से अधिकतम पांच प्रतिशत पद, किसी सरकारी कर्मचारी की उसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र अथवा पुत्री अथवा पत्नी अथवा पति अथवा भाई या बहन की नियुक्ति करके इन नियमों में बताए तरीकों से इतर किसी भी तरीके से भर सकता है ।"

(4) नियम 22, उप-नियम (1) में, द्वतीय उपबन्ध के बाद, निम्नलिखित उपबन्ध जोड़ दिया जाये, यथा :—

"बशर्ते कि, सचिवालय प्रशिक्षण शाला, द्वारा नियम 16 के उप-नियम (1) के खण्ड (i) के अनुसार, किसी वर्ष विशेष में हुई प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सामान्य संवर्ग के वर्ग 6 में नियुक्त सभी व्यक्ति सचिवालय प्रशिक्षण शाला द्वारा उस वर्ष में ली गई खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरती किए गए व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे ।" ;

(5) नियम 25 में,उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम लिख दिया जाएगा, यथा :—

(3) सामान्य संवर्ग का वर्ग 6

(i) सचिवालय प्रशिक्षण शाला द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर वर्ग 6 में नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरीयता, नियम 22 के उप-नियम (1) द्वारा नियंत्रित होगी ।

(ii) नियम 16 के उप-नियम (1) के खण्ड (ii) के उपबन्धों के अधीन नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की वरीयता वह होगी जो नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निश्चित की जाए ।

(iii) नियम 16 के उप-नियम (4) के अनुसार वर्ग 6 में नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरीयता उनकी नियुक्ति की तारीखों के अनुसार होगी ।

लेकिन यह व्यवस्था है कि किसी वर्ष विशेष में इस प्रकार नियुक्त सभी व्यक्ति, उस वर्ष की प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर भरती किए गए व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे ।

(6) नियम 29क में :—

(क) 'और आयोग के परामर्श से' शब्द हटा दिए जाएंगे ;

(ख) अन्त में निम्नलिखित उबपन्ध जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :

"लेकिन यह व्यवस्था है कि संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले, पदों के सम्बन्ध में, किसी श्रेणी, अथवा वर्ग के व्यक्तियों अथवा पदों के सम्बन्ध में, आयोग के परामर्श के बिना कई आदेश नहीं दिया जाएगा ।"

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा आदि में निम्नश्रेणी लिपिक के पदों पर भरती के लिए प्रतियोगिता परीक्षायें, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती थी। आयोग अब ये परीक्षायें आयोजित नहीं करेगा। कार्मिक विभाग, मन्त्रिमंडल सचिवालय के सचिवालय प्रशिक्षण शाला ने अब यह कार्य संभाल लिया है। चूंकि खुली प्रतियोगिता परीक्षा और सीमित प्रतियोगिता परीक्षा सम्बन्धी सचिवालय प्रशिक्षण शाला द्वारा नवम्बर, 1970 में जारी कर दी गई थी इसलिए भारतीय विदेश सेवा, शाखा, 'ख' (दूसरा संशोधन) नियम 1969 को पूर्वव्यापी प्रभाव देना आवश्यक था, ताकि सचिवालय प्रशिक्षण शाला, भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के वर्ग 6 में भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करने में समर्थ हो सके।

2. उपर्युक्त नियम को पूर्वव्यापी प्रभाव देकर जारी करने में किसी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० 45/जी० ए०/71]

रणधीर सिंह, अवर सचिव।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 18th March 1971

G.S.R. 477.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, namely.—

(1) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, against Serial No. 4 "Transport Assistant" for the entries in columns 5 and 7, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

"Not applicable"—By promotion of Motor Drivers in the office concerned with five years experience as Motor Drivers and having passed Matriculation examination, failing which by direct recruitment.

[No. 1/7/70-B(A).]

A. V. NARAYANAN, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1971

जी० एस० आर० 477.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

(1) इन नियमों को आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1971 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1964 के परिशिष्टि में क्रम संख्या 4 "यातायात सहायक" के सामने कालम 5 और 7 की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी :—

"लागू नहीं होता"

"सम्बन्धित कार्यालय के उन मोटर ड्राइवरों, जिन्हें मोटर ड्राइवर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव हो और जो मैट्रिक पास हों, की पदोन्नति द्वारा; ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।"

[संख्या 1/7/70-बी० (ए)]

ए० वी० नारायणन्, अवर सचिव।

New Delhi, the 19th March 1971

G.S.R. 478.—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, namely: —

1. (1) These rules may be called the Cinematograph (Censorship) Amendment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Schedule to the Cinematograph (Censorship) Rules, 1953, for Form V, the following Form shall be substituted, namely:—

"FORM V

GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL BOARD OF FILM CENSORS
Certificate for exhibition restricted to ADULTS only
(Persons below 18 *not* admitted)

(Film).....

(Gauge) ..... (Length) ..... (Meter) ..... (Real).....

(Certificate No.) .....

(Date of issue) .....

(Date of expiry) .....

1. (This certificate has been issued, in accordance with Rule 24/28 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958 framed under the Cinematograph Act, 1952).

2. (In the event of a copy of the film being prepared in a gauge other than that mentioned in the certificate, the certified length shall be deemed to be the corresponding length appropriate to that gauge).

3. Name of applicant.

4. Name of Producers.

Date:

[No. 5/1/71-F(C).]

VIRENDRA D. VYAS,
Director.

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1971

जी० एस० आर० 478.—चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा चलचित्र (सेंसर) नियमावली, 1958 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है ; अर्थात्—

1. (1) इन नियमों को चलचित्र (सेंसर) संशोधन नियमावली, 1971 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चलचित्र (सेंसर) नियमावली, 1958 की अनसूची में प्ररूप 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात् —

"प्ररूप 5

भारत सरकार

केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड

(केवल वयस्कों के लिए अनिबन्धित लोक प्रदर्शन के लिए प्रमाणपत्र)

(18 वर्ष से कम आयु वालों के लिए प्रवेश निषेध)

(फिल्म) ————————————————

(गेज) ————(लम्बाई)————मीटर) ————(रील) ————

(प्रमाण पत्र संख्या)————————————————

(प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख)————————————————

(अवसान की तारीख) ————————————————

---

1. (यह प्रमाणपत्र चलचित्र अधिनियम, 1952 के अधीन विरचित चलचित्र (सेंसर) नियमावली, 1958 के नियम 24/28 के अनुसार दिया गया है)।

2. (उस दशा में जब कि फिल्म की प्रति उस गेज में तैयार की जाती है जो प्रमाणपत्र में वर्णित गेज से भिन्न है, तो प्रमाणिक लम्बाई वह समझी जाएगी जो उस गेज के अनुरूप तत्सम लम्बाई हो)।

3. आवेदक का नाम .....

4. निर्माता का नाम ...

तारीख ".

[संख्या 5/1/71-एफ (सी)]

वीरेन्द्र देव व्यास, निदेशक।

MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING, WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

(Department of Works Housing and Urban Development)

New Delhi, the 11th March 1971

G.S.R. 479.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Financial Officer to Engineer-in-Chief (Central Public Works Department) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the post, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, educational qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualification.**—No person;—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Powers to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHE-

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection Post or non-Selection Post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Financial Officer to Engineer-in-Chief.	1	General Central Service Class I Gazetted non-Ministerial	Rs. 700—40—1100—50/2—1250	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

DULE

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/ transfer and Percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/ transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable.	By promotion failing which by transfer on deputation.	*Promotion* : Permanent Financial Officers of the Central Public Works Department with 5 years service in the grade. *Transfer on deputation* : Time-scale Officers from any of the Organised Accounts Services for example Indian Audit and Accounts Service, Indian Defence Accounts Service, Indian Railway Accounts Service, failing which officers of the rank of Accounts or Audit Officer with 5 years service in the grade from any of the organised Accounts Departments for example Indian Audit and Accounts Department, Indian Defence Accounts Department, Indian Railway Accounts Department. (Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. F. 33(4)/70-MSII.]

S. N. BANERJI, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय

(निर्माण, आवास और नगर विकास विभाग)

(निर्माण प्रभाग)

नई दिल्ली, 11 मार्च 1971

जी० एस० आर० 479.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) ये नियम प्रमुख इंजीनियर का वित्तीय अधिकारी (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) भर्ती नियम, 1971 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना :** ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमाएं, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :

5. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

अनु-

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
प्रमुख इंजीनियर का वित्तीय अधिकारी	1	साधारण केन्द्रीय सेवा का राजपत्रित अननु-सचिवीय	700-40-1100-50/2-1250	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सूची

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की कालावधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/ भर्ती सीधे या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	**प्रोन्नति :** केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्थायी वित्तीय अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हो। **प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण** संगठित लेखा सेवाओं उदाहरणार्थ भारतीय संपरीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय रेल लेखा सेवा में से किसी, के काल-वेतन-मान अधिकारी, जिसके न हो सकने पर लेखा या संपरीक्षा अधिकारी की पंक्ति के अधिकारी, जिन्होंने संगठित लेखा विभागों उदाहरणार्थ, भारतीय संपरीक्षा और लेखा विभाग, भारतीय रक्षा लेखा विभाग, भारतीय रेल लेखा	लागू नहीं होता	संघ लोक आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथापेक्षित

1	2	3	4	5	6	7

8	9	10	11	12	13
			विभाग में से किसी में उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हो। (प्रतिनियुक्ति की कालावधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)		

[सं० फा० 33(4)/70 एम० एस० II]

एस० एन० बैनर्जी, उपसचिव।

(Department of Works, Housing and Urban Development)

New Delhi, the 19th March 1971

G.S.R. 480.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regarding the method of recruitment to the post of Hindi-translator in the Department of Works, Housing and Urban Development, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Hindi-Translator, Department of Works, Housing and Urban Development Recruitment Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Classification and scale of pay, method of recruitment etc.**—The classification of the post, the scale of pay attached thereto, the method of recruitment and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 3 to 11 of the Schedule.

3. **Disqualifications.**—(a) No person who has more than one wife living or who, having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such spouse, shall be eligible for appointment to the said post; and

(b) No woman, whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage, shall be eligible for appointment to the said post: Provided that the Central Government may, if satisfied, that there are special grounds for so ordering, exempt any person from the operation of this rule.

4. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons or posts.

SCHE—

Recruitment Rules for the post of Hindi-Translator in the Ministry of Health and Family Planning

(Department of Works, Housing

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
			Rs.			
Hindi-Translator.	One	General Central Service Class III Ministerial (Non-gazetted).	210—10—290—15—320—EB—15—425.	Not applicable.	Between 21 and 30 years.	*Essential* : Degree of a recognised University with Hindi and English as elective subject. At least 2 years experience in translation from English to Hindi and *vice versa*.

DULE

and Works, Housing and U.D.

and Urban Development)

Whehter age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees/deputationists/transferees	Period of probation	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and the percentage of the vacancies to be filled by various methods	In the case of recruitment by promotion or transfer/deputation grades from which promotion or transfer/deputation to be made	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12
Age—No Educational qualifications—Yes.	2 years	By deputation/transfer failing which by direct recruitment.	In case of deputation/transfer, selection from Upper Division Clerks/Lower Division Clerks/ of Central Secretariat Clerical Service with 5 years service as L.D.C. or U.D.C. and who possess educational qualifications indicated in column 7. *Period of deputation* : Normally two years which may be extended by another one year in public interest.	Not applicable.

[No. A. 12018/1/70-Adm. I.]

S. L. VASUDEVA, Under Secy.

(निर्माण, आवास और नगर-विकास विभाग)

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1971

जी० एस० आर० 480.—राष्ट्रपति, संविधान अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्माण, आवास और नगर-विकास विभाग में हिन्दी-अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति के बारे में निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) ये नियम निर्माण, आवास और नगर-विकास हिन्दी-अनुवादक भर्ती नियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. **वर्गीकरण और वेतनमान, भर्ती की पद्धति आदि.**—पद का वर्गीकरण और उसका वेतनमान, भर्ती की पद्धति और उक्त पद से सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तम्भ 3 से 11 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **निरर्हताएं.**—(क) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं या जो एक पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी ऐसी दशा में विवाह करता है जिसमें उस पत्नी में जीवनकाल में किए जाने के कारण वह विवाह शून्य है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ; तथा

(ख) कोई भी अभ्यर्थिणी जिसका विवाह इस कारण शून्य है कि उस विवाह के समय उसके पति की पत्नी जीवित थी, या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी उस विवाह के समय जीवित थी, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगी :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा आदेश देने के लिए विशेष आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

4. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

अनु

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय के हिन्दी अनुवादक

(निर्माण, आवास

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मान	चयन अथवा अचयन	सीधे भर्ती किये जाने के लिए आयु	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
हिन्दी अनुवादक	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 अननुसचिवीय (अराजपत्रित)	रु० 210—10—290—15—320—द० रो०—15—425	लागू नहीं होता	21 और 30 वर्ष के बीच	आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी वैकल्पिक विषय हों । अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव ।

सूची

के पद के लिए भर्ती नियम

और नगर-विकास विभाग)

सीधे भर्ती किए जाने वाले की व्यक्तियों के लिए कालावधि विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों/ प्रतिनियुक्ती/ स्थानान्तरिकितयों की दशा में लागू होंगी या नहीं	भर्ती की पद्धति / भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नती द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
8 9	10	11	12
आयु —— नहीं दो वर्ष शैक्षिक अर्हताएं——हां	प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण , द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रतिनियुक्त/स्थानान्तरण, चयन की दशा में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी लिपिकों / निम्न श्रेणी लिपिकों में से जिनकी निम्न श्रेणी लिपिक या उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में पांच वर्ष की सेवा हो और जिनके पास स्तम्भ 7 में उपदर्शित शैक्षिक अर्हताएं हों । **प्रतिनियुक्ति की कालावधि :** सामान्यत: दो वर्ष जो कि लोकहित में एक वर्ष और भी बढायी जा सकेगी ।	लागू नहीं होता

[सं० क० 12018/1/70/प्रशासन–1)

शिव लाल वासुदेव, अवर सचिव ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 20th March 1971

G.S.R. 481.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the Fundamental Rules, namely:—

1. (1) These rules may be called the Fundamental (First Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Fundamental Rules, for Rule 49, the following Rule shall be substituted, namely:—

"49. The Central Government may appoint a Government servant already holding a post in a substantive or officiating capacity to officiate, as a temporary measure, in one or more of other independent posts at one time under that Government. In such cases, his pay is regulated as follows:—

(i) Where a Government servant is formally appointed to hold full charge of the duties of a higher post in the same office as his own and in the same cadre/line of promotion, in addition to his ordinary duties, he shall be allowed the pay admissible to him, if he is appointed to officiate in the higher post, unless the competent authority reduced his officiating pay under Rule 35; but no additional pay shall, however, be allowed for performing the duties of a lower post;

(ii) where a Government servant is formally appointed to hold dual charge of two posts in the same cadre in the same office carrying identical scales of pay, no additional pay shall be admissible irrespective of the period of dual charge:

Provided that if the Government servant is appointed to an additional post which carries a special pay, he shall be allowed such special pay;

(iii) where a Government servant is formally appointed to hold charge of a higher post or posts which is or are not in the same office, or which, though in the same office, is or are not in the same cadre/line of promotion, he shall be allowed the pay of the higher post, or the highest post if he holds charge of more than one posts, in addition to ten per cent of the presumptive pay of the additional post or posts, if the additional charge is held for a period exceeding 39 days but not exceeding 3 months:

Provided that if in any particular case, it is considered necessary that the Government servant should hold charge of a higher post or posts for a period exceeding 3 months, the concurrence of the Ministry of Finance shall be obtained for the payment of the additional pay beyond the period of 3 months;

(iv) no additional pay shall be admissible to a Government servant who is appointed to hold current charge of the routine duties of a higher post irrespective of the duration of the additional charge;

(v) if compensatory or sumptuary allowances are attached to one or more of the posts, the Government servant shall draw such compensatory or sumptuary allowances as the Central Government may fix:

Provided that such allowances shall not exceed the total of the compensatory and sumptuary allowances attached to all the post."

[No. F. 6(2)-E. III(B)/68.]

KIRPA SINGH, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1971

जी० एस० आर० 481.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् मूल नियमों में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं; अर्थात् :—

(1) ये नियम मूल (प्रथम संशोधन) नियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. मूल नियमों में, नियम 49 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"49 केन्द्रीय सरकार एक ही समय उस सरकार के अधीन एक या अधिक अन्य स्वतन्त्र पदों में अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में पहले से ही पद धारण करने वाले सरकारी सेवक को अस्थायी तौर पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगी । ऐसी दशाओं में उसका वेतन निम्नलिखित रूप में विनियमित होता है :—

(i) जहां सरकारी सेवक अपने समान्य कर्त्तव्यों के साथ साथ, ऐसे कार्यालय में जैसा उसका है और उसी काडर/प्रान्तीय प्रोन्नति की लाइन में उच्च पद के कर्त्तव्यों का पूर्ण प्रभार धारण करने के लिए औपचारिक रूप से नियुक्त किया गया है यदि वह उच्चपद में स्थापन करने के लिए नियुक्त किया गया है तो उसे अनुज्ञेय वेतन तब तक अनुज्ञात होगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी नियम 35 के अधीन उसके स्थानापन्न वेतन को कम न कर दे; किन्तु उसे निम्न पद के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए कोई अतिरिक्त वेतन, अनुज्ञात नहीं होगा ;

(ii) जहां सरकारी सेवक उसी कार्यालय में उसी काडर में समान वेतनमान वाले दो पदों के दोहरे भारसाधन को धारण करने के लिए औपचारिक रूप से नियुक्त किया गया है वहां दोहरे भारसाधन की अवधि को दृष्टि में लिए बिना कोई अतिरिक्त वेतन अनुज्ञय नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकारी सेवक ऐसे अतिरिक्त पद पर नियुक्त किया जाता है जिसमें विशेष वेतन हो तो उसे ऐसा विशेष वेतन अनुज्ञात होगा ;

(iii) जहां सरकारी सेवक ऐसे उच्चपद या पदों का भारसाधन धारण करने के लिए औपचारिक रूप से नियुक्त किया गया है जो उसी कार्यालय में है या नहीं है या जो यद्यपि उसी कार्यालय में है किन्तु उसी काडर/प्रोन्नति की लाइन में है या नहीं है, यदि अतिरिक्त भारसाधन 39 दिन से अधिक किन्तु

3 मास से अनधिक की अवधि के लिए धारण किया गया हो तो उसे उच्चतर पद या उच्चतम पद का, यदि एक से अधिक पदों का भारसाधन धारण करता हो, वेतन-अतिरिक्त पद या पदों के प्रकल्पित वेतन के दस प्रतिशत के अतिरिक्त अनुज्ञात होगा ।

परन्तु यदि किसी विशेष मामले में, यह आवश्यक समझा जाए कि सरकारी सेवक को 3 मास से अधिक की अवधि के लिए उच्चतर यद पद पदों का भारसाधन धारण करना चाहिए तो 3 मास से अधिक के अतिरिक्त वेतन के संदाय के लिए वित्त मंत्रालय की सहमति अभिप्राप्त की जाएगी ;

(iv) उस सरकारी सेवक को, जो उच्चतर पद के वर्तमान भारसाधन के नेमी कर्त्तव्यों को धारण करने के लिए नियुक्त किया गया है, अतिरिक्त भार-साधन की अवधि को विचार में लाए बिना, कोई अतिरिक्त वेतन अनज्ञात नहीं होगा ;

(v) यदि एक या दो पदों से प्रतिकरात्मक या आतिथ्य भत्ते संलग्न हैं तो सरकारी सेवक ऐसे प्रतिकरात्मक आतिथ्य भत्ते लेंगे जैसा कि केन्द्रीय सरकार नियत करे :

परन्तु ऐसे भत्ते सभी पदों से सम्बन्धित प्रतिकरात्मक और आतिथ्य भत्ते के योग से अधिक नहीं होंगे ।"

[सं० फा० 6(2)-ईIII/बी/68]

कृपा सिंह, उप सचिव ।

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 27th March 1971

G.S.R. 482.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309, read with clause (5) of article 148, of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, the President hereby makes the following rules to regulate the transfer, to the office of the Chief Pay and Accounts Officer or any other office subordinate to him, of certain persons appointed to posts in the Indian Audit and Accounts Department, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Accountant General, Commerce, Works and Miscellaneous) Transfer of Officers and other Staff Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Transfer.**—Consequent on the transfer, on and from the 1st day of April, 1955 (hereinafter referred to as the said date), of the accounting work in relation to the Departments of Supply, Food, Rehabilitation and Works, Housing and Urban Development from the Indian Audit and Accounts Department (Accountant General, Food, Rehabilitation and Supply) to the office of the Chief Pay and Accounts Officer or to any other office subordinate to him *vide* Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Notification No. F. 1(12)-B/71, dated 22nd March, 1971, those officers and other staff of the office of the Accountant General, Food, Rehabilitation and Supply—

(a) who were ,on or after the said date, employed in the office of the Chief Pan and Accounts Officer or any other office subordinate to him, and who were, at the commencement of these rules, employed in these offices, or

(b) who, being employed on or after the said date in the office of the Chief Pay and Accounts Officer or any other office subordinate to him, were sent out on deputation from the office of the Chief Pay and Accounts Officer or any other office subordinate to him, and are, at the commencement of these rules on such deputation, shall, on the commencement of these rules, stand transferred to the office of the Chief Pay and Accounts Officer and other offices subordinate to him on such terms and conditions as may be agreed upon by the Comptroller and Auditor-General of India and the Secretary to the Government of the Department or the Ministry concerned:

Provided that the terms and conditions agreed upon in relation to the officers or other staff so transferred shall not be less favourable to them than those to which they were entitled immediately before such transfer.

Explanation.—In this notification, the term "Accountant General, Food, Rehabilitation and Supply" includes his successor offices.

[No. A. 12034(1)71-EG.I.]

K. N. SINGH, Director.

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1971

जी० एस० आर० 482.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त और उन्हें इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय संपरीक्षा और लेखा विभाग में नियुक्त कतिपय व्यक्तियों के मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी के कार्यालय में अथवा उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यालय में स्थानांतरण को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इन नियमों का नाम भारतीय संपरीक्षा और लेखा विभाग (महालेखापाल, वाणिज्य, संक्रम और प्रकीर्ण) अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द का स्थानांतरण नियम 1971 होगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **स्थानांतरण.**—पूर्ति, खाद्य, पुनर्वास और सकर्म, आवास और नगरविकास विभागों से सम्बन्धित लेखा कार्य के भारतीय संपरीक्षा और लेखा विभाग (महा लेखापाल, खाद्य पुनर्वास और पूर्ति) से अप्रैल 1955 के प्रथम दिन को और से (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त तारीख कहा गया है) मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी के कार्यालय या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यालय को अन्तरण [भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० फा० 1(12)-बी-/71 के तारीख 22-3-71 देखें] परिणामस्वरूप, महालेखापाल, खाद्य, पुनर्वास और पूर्ति के कार्यालय के वे अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द —

(क) जो उक्त, तारीख को और उसके पश्चात् मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी के कार्यालय या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यालय में नियोजित थे, और इन नियमों के प्रारम्भ पर इन कार्यालय में नियोजित किए गए थे, या

(ख) जो, उक्त तारीख को या उसके पश्चात् मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी के कार्यालय में या उसके अधिनस्थ किसी अन्य कार्यालय में नियोजित होने पर मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी के कार्यालय से या उसके अधिनस्थ किसी अन्य अधिकारी के कार्यालय से प्रतिनियुक्ति पर बाहर भेजे गए थे और इन नियमों के प्रारम्भ पर ऐसी प्रतिनियुक्ति पर हैं,

वे, इन नियमों के प्रारम्भ पर मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी के कार्यालय और उसके अधीनस्थ अन्य कार्यालयों को, ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर, जिन पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा सरकार के सम्बन्ध विभाग या मंत्रालय के सचिव सहमत हों, स्थानांतरण हो जाएंगे :

परन्तु इस प्रकार स्थानांतरित अधिकारियों या अन्य कर्मचारिवृन्द के सम्बन्ध में वे निर्बन्धन और शर्तें जिन पर सहमति हो, उनके लिए उन निर्बन्धनों और शर्तों से कम अनुकूल नहीं होंगे जो होंगी जिनके कि वे ऐसे स्थानांतरण से ठीक पहले हकदार थे।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना में, "महालेखापाल, खाद्य, पुनर्वास और पूर्ति" पद में उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित हैं।

[सं० ए—12034(1) 71—ई जी—I]

कुलदेव नारायण सिंह, निदेशक।

(Department of Revenue and Insurance)

CUSTOMS

New Delhi, the 3rd April 1971

G.S.R. 483.—In exercise of the powers conferred by section 79, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Tourist Baggage Rules, 1958, namely:—

1.(1) These rules may be called the Tourist Baggage (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Tourist Baggage Rules, 1958 (hereinafter referred to as the said rules), the following proviso shall be inserted, namely:

"Provided that where the Collector of Customs is satisfied that it is necessary for a tourist to stay for legitimate non-immigrant purposes for a period exceeding six months, he may extend the period by a further period of six months."

3. In rule 3 of the said rules, in sub rule (3), for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(ii) One regular size bottle of wine and alcoholic liquor not exceeding 0.75 litre.".

4. After rule 4 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"4A *Exemption from customs duty on gifts, souvenirs etc. imported by persons of Indian origin.*—Persons of Indian origin who have been resident outside India for over two years may be allowed to import free of duty at the discretion of the proper officer, those articles which are to be given away as gifts, if such articles are such as could be passed free of duty under the Baggage Rules 1970."

[No. 28/F. No. 9/38/70-Cus. VI.]

J. DATTA, Dy. Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 3 अप्रैल 1971

सा० का० नि० 483.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पर्यटक सामान नियम, 1958 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) ये नियम पर्यटक सामान (संशोधन) नियम, 1971 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यटक सामान नियम, 1958 (जिसमें उसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"परन्तु जहां सीमाशुल्क कलक्टर का समाधान हो जाता है कि किसी पर्यटक के लिए 6 मास से अधिक की अवधि के लिए आप्रवासी प्रयोजनों से उक्त विधि सम्मत प्रयोजनों के लिए ठहरना आवश्यक है वहां, वह उस अवधि में छह मास की और अवधि बढ़ा सकेगा।"

3. उक्त नियमों के नियम 3 में, उपनियम (3) में, खण्ड (II) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(II) 0.75 लीटर से अधिक शराब और अल्कोहाली—लिकर की आम आकार की एक बोतल।"

4. उक्त नियमों के नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"4क भारतीय उद्गम के व्यक्तियों द्वारा आयात किए गए दानों, स्मृति उपहारों आदि पर सीमा शुल्क से छूट :—

भारतीय उद्गम के वे व्यक्ति जो दो वर्ष से अधिक भारत से बाहर रहे हैं, उन वस्तुओं को जो दान के रूप में दी जाती हैं उचित अधिकारी के विवेकाधिकार पर शुल्क मुक्त आयात करने के लिए अनुज्ञात किए जा सकेंगे, यदि ये वस्तुएं ऐसी हैं जो सामान नियम, 1970 के अधीन शुल्क मुक्त जाने दी जा सकती हैं।"

[सं 28/फा०से०9/38/70—सी०शु० VI]

ज्योतिर्मय दत्त, उप सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1971